Saturday, 27 March, 1971

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

[खंड 1 में अंक 1 से 12 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1 to 12]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची CONTENTS

अंक 7, शनिवार, 27 मार्च, 1971/6 चैत्र, 1893 (शक)

No. 7, Saturday, March 27, 1971/Chaitra 6, 1893 (Saka)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn	1
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पश्चिम बंगाल) 1970-71	Demands for Supplementary Grants (West Bengal), 1970-71 ...	2—3
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	2—3
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उड़ीसा) 1970-71	Demands for Supplementary Grants (Orissa), 1970-71	3—5
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	3—5
उपाध्यक्ष का निर्वाचन	Election of Deputy Speaker	6—10
श्रीमती इंदिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	6
श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	7
श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan	7
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	7
श्री एस० एन० मिश्र	Shri Shyamndan Mishra	7
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi ...	7—

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	...	8
श्री पीलु मोडी	Shri Piloo Mody	...	
श्री फ्रैंक एन्थोनी	Shri Frank Anthony		8
श्री समर गुह	Shri Samar Guha		8
अध्यक्ष महोदय	Mr. Speaker		8—9
श्री जी० जी० स्वैल	Shri G. G. Swell		9—10
पूर्वी पाकिस्तान की हाल ही की घटनाओं के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Recent Developments in East Pakistan	...	10—22
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swarn Singh		11—12
श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan		12—13
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee		13—14
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi		14
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. Varadaraja Rao	...	14—15
श्री कृष्ण मेनन	Shri Krishna Menon		15—16
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	...	16—17
श्री ए० के० सेन	Shri A. K. Sen	...	17—18
श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan	...	18—19
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi		19
श्री हरि प्रसाद	Shri Hari Prasad		19
श्री एस० एन० मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra		19—20
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim		20

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
डा० मेल कोटे	Dr. Mel Kote	20
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo ...	21
श्रीमती इंदिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi ...	21—22
सभा का कार्य	Business of the House ...	22—23, 64—65
समिति के लिए निर्वाचन	Election to Committee	23—24
रबड़ बोर्ड	Rubber Board	23—24
लापता विमान के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Missing Aircraft	25—26
डा० सरोजनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi	25
सामान्य बजट, 1971-72 सामान्य चर्चा और लेखा अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1971-72	General Budget, 1971-72-General Discussion and Demands for Grants on Account(General), 1971-72	26—48
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	26—27
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	27—28
श्री सी० भट्टाचार्य	Shri C. E. Bhattacharyya	28
श्री पीलु मोडी	Shri Piloo Mody	28—30
श्री तारकेश्वर पांडे	Shri Tarkeshwar Pandey	30
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	30—31
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे	Shri K. C. Pandey	31
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	31—32
श्री सी० चित्तिबाबू	Shri C. Chittibabu	32—33
श्री पी० के० घोष	Shri P. K. Ghosh	32—35
श्री एस० बी० ठाकरे	Shri S. B. Thakre	35
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yashwant Rao Chavan	35—38

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1971	Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971	48—49
पुर:स्थापित तथा पारित	Introduced and Passed	48—49
वित्त विधेयक, 1971	Finance Bill, 1971	49—62
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	49—54
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yashwant Rao Chavan	...49—50,54
श्री समर मुकर्जी	Shri Samar Mukerjee	50—53
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	53
खंड 2 से 8 और 1	Clauses 2 to 8 and 1	55
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	55
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	55—56
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	56—58
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	58—61
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yashwant Rao Chavan	61—62
पश्चिम बंगाल बजट, 1971-72	West Bengal Budget, 1971-72	62
उड़ीसा बजट, 1971-72	Orissa Budget, 1971-72	63
मैसूर बजट, 1971-72	Mysore Budget, 1971-72	64
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (मैसूर) 1970-71	Demands or Supplementary Grants (Mysore), 1970-71	64

लोक-सभा
LOK-SABHA

शनिवार, 27 मार्च, 1971/6 चैत्र, 1893 (शक)
Saturday, March 27, 1971/Chaitra 6, 1893 (SaKa)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

संघ लोक सेवा आयोग का 20 वां प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, अणुशक्ति विभाग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी विभाग में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : श्री रामनिवास मिर्धा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1970 तक की अवधि के लिए बीसवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 24/71**]

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 25/71**]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पश्चिम बंगाल) 1970-71

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (WEST BENGAL) 1970-71

वर्ष 1970-71 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य की निम्नलिखित अनुपूरक अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
3.	10—राज्य उत्पादन शुल्क	16,60,000
6.	13—अन्य कर तथा शुल्क	18,22,000
7.	14—स्टाम्प	1,71,000
8.	15—पंजीकरण शुल्क	63,000
9.	16—ऋण तथा अन्य देनदारियों पर ब्याज	20,00,000
11.	18—संसद्, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	46,82,000
12.	19—सामान्य प्रशासन	12,70,000
14.	22—जेल	10,76,000
15.	23—पुलिस	6,67,01,000
17.	26 विविध विभाग-अग्नि शमन सेवाओं को छोड़कर	52,64,000
18.	27—वैज्ञानिक विभाग	4,000
19.	28—शिक्षा	8,18,67,000
20.	29—चिकित्सा	24,54,000
	33—पशुपालन	45,21,000
24.	124—सरकारी व्यापार-बृहत्, कलकत्ता दुग्ध पूर्ति योजना की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	1,60,29,000
26.	96—औद्योगिक तथा आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	2,51,000
	35—उद्योग—कुटीर उद्योग	26,44,000
27.	96—औद्योगिक तथा आर्थिक विकास पर पूँजी परिव्यय—कुटीर उद्योग	8,31,000
33.	44—सिंचाई, नौचालन, तटबंध तथा जल निकासी कार्य (गैर वाणिज्यिक)	3,92,29,000
	99—सिंचाई, नौचालन, तटबंध तथा जल निकासी कार्य (वाणिज्यिक)	1,06,54,000
34.	50—सार्वजनिक कार्य	3,91,07,000
36.	53—पत्तन तथा पायलेट का कार्य	1,91,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
38.	64—अकाल सहायता	11,12,71,000
39.	65—पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	11,49,000
	120—पेंशनों के विनिमय मूल्य की अदायगियां	1,00,000
	71— विविध विस्थापित व्यक्तियों को न वसूल होने योग्य ऋण—बट्टे-खाते लिखे गये	99,00,000
47.	71—विविध विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	136,57,000
	109—अन्य कार्यों पर पूंजी परिव्यय—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	4,45,000
52.	125—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	2,65,44,000
54.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम राशियां	11,30,94,000

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (उड़ीसा), 1970-71

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (ORISSA) 1970-71

वर्ष 1970-71 के लिए उड़ीसा राज्य की निम्नलिखित अनुपूरक अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की गईं:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	क—राजस्व से व्यय	रु०
1.	गृह विभाग सम्बन्धी निर्वाचन तथा अन्य व्यय	30,30,000
2.	जेलें	30,00,000
3.	पुलिस	2,45,00,000
4.	नियोजन और समन्वय विभाग सम्बन्धी व्यय	1,44,00,00
5.	सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि	1,80,73,000
6.	राजनीतिक और सेवा विभाग सम्बन्धी व्यय	16,19,000
7.	सांस्कृतिक मामले	6,00,000
8.	स्टाम्प	2,00,000
9.	वित्त विभाग सम्बन्धी मंत्रियों, सिविल सचिवालय तथा अन्य व्यय	83,79,000
10.	पेंशनें	46,34,000
11.	शिक्षा विभाग सम्बन्धी व्यय	6,00,00,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
11.	क. पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय	10,00,000
12.	कराधान	28,80,000
13.	भू-राजस्व	1,40,00,000
14.	उत्पादन शुल्क	12,00,000
15.	रजिस्ट्रेशन	6,000,00
16.	राजस्व विभाग सम्बन्धी जिला प्रशासन और अन्य व्यय	81,00,000
17.	उद्योग विभाग सम्बन्धी व्यय	1,30,00,000
17.	क. खानें	13,00,000
18.	विधि विभाग सम्बन्धी सिविल और सैशन न्यायालयों तथा अन्य व्यय	20,52,000
19.	वाणिज्य विभाग सम्बन्धी सरकारी मुद्रणालय और अन्य व्यय	45,00,000
20.	श्रम, रोजगार और आवास	19,00,000
21.	जनजाति और ग्रामीण कल्याण	1,35,00,000
22.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग सम्बन्धी चिकित्सा और अन्य व्यय	1,90,00,000
23.	लोक स्वास्थ्य	1,36,00,000
24.	सिंचाई	1,92,22,000
25.	लोक निर्माण कार्य	4,21,51,000
26.	राज्य विधान मंडल	6,10,000
27.	लोक निर्माण कार्य, साझे प्रतिष्ठान	72,53,000
28.	बिजली योजनायें	40,00,000
29.	मोटर गाड़ियों पर कर	7,68,000
30.	परिवहन योजनायें	1,02,36,000
31.	वन	1,30,00,000
32.	मीन-क्षेत्र	35,98,000
33.	सहकारिता और विपणन	54,22,000
34.	नगरीय विकास विभाग सम्बन्धी व्यय	1,33,00,000
35.	पशु-पालन	1,00,00,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
36.	जन सम्पर्क तथा पर्यटन	15,39,000
37.	कृषि	2,07,66,000
38.	पूर्ति विभाग	24,82,000
39.	पत्तन	1,20,000
	ख–अन्य व्यय	
41.	स्थानीय निधियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	33,00,000
42.	राजस्व विभाग सम्बन्धी जमींदारो प्रथा उन्मूलन प्रतिकर तथा अन्य व्यय	16,00,000
43.	बहुउद्देशीय नदी, सिंचाई और बिजली योजनायें	8,00,00,000
44.	कृषि सुधार और अनुसंधान	6000,000
45.	सरकारी व्यापार योजनायें	2,00,00,000
46.	सड़क और जल परिवहन योजनायें	10.00,000
47.	लोक स्वास्थ्य और नगरीय विकास विभाग सम्बन्धी पूँजी व्यय	80,00,000 40,00,000
48.	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय	80,00 000
49.	हीराकुंड बांध परियोजना	2,03,000
50.	पत्तनों पर पूंजी परिव्यय	4,00,000
51.	श्रम, रोजगार और आवास विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	15,00,000
52.	शिक्षा विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	15,00,000
53.	गृह विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	2,00,000
54.	वनों पर पूंजी परिव्यय	2,00,00,000
55.	सहकारी संगठनों को शेयर पूंजी अंशदान और ऋण	30,00,00
56.	नियोजन और समन्वय विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	81,67,000
57.	पशुपालन विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	1,00,000
58.	ग्राम पंचायत विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	50,000
60.	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	1,46,14,000
61.	खनन और भू-विज्ञान विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	25,00,000
62.	जनजाति और ग्रामीण कल्याण विभाग सम्बन्धी पूंजी व्यय	15,00,000

श्री कल्याण सुन्दरम (तिरुचिरापल्लि) : मैंने विशेषाधिकार भंग के बारे में एक प्रस्ताव की सूचना से दी थी। अभी-अभी मुझे किसी ने बताया है कि अध्यक्ष महोदय ने उसे अस्वीकार कर दिया है। नियमों के अनुसार मेरा अनुरोध है कि इसको सभा में अस्वीकार किया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में मेरे चेम्बर में मेरे साथ बात कर सकते है।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

ELECTION OF DEPUTY SPEAKER

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री जी जी० स्वैल को जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये।"

श्री आर० के० सिंह (फैजाबाद) : मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सर्वश्री इन्द्रजीत गुप्त, अटल बिहारी वाजपेयी, मनोहरन, पी० के० देव तथा एस०एन० मिश्र के ऐसे ही प्रस्ताव जिनका अनुमोदन करने वालों के नाम क्रमशः सर्व श्री कल्याण सुन्दरम, जगन्नाथराव जोशी, सेझियान, बक्शी नायक, दिग्विजय नारायण सिंह हैं। सभी प्रस्तावों में केवल एक ही नाम का सुझाव दिया गया है। अतः प्रश्न यह है :

"कि श्री जी० जी० स्वैल को, जो इस सभा के सदस्य है इस सभाका उपाध्यक्ष चुना जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : मैं घोषणा करता हूं कि श्री जी० जी० स्वैल को जोकि इस सभा के सदस्य हैं, सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया है। श्री स्वैल अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं जोकि मेरी बायी ओर है।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय (श्री जी० जी० स्वैल) ने अपना स्थान ग्रहण किया।

Mr. Deputy speaker (Shri G. G. Swell) then occupied his Seat.

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री, योजना मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : श्री स्वैल के लोक सभा का पुनः उपाध्यक्ष चुने जाने पर मैं उनको बधाई देती हूं। मुझे प्रसन्नता है कि लम्बी बिमारी के बाद उनका स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है। उपाध्यक्ष के नाते उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है और उत्तरदायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाया है। मैं इस सभा के सभी सदस्यों की ओर से उनको पूरे सहयोग का आश्वासन देती हूं।

श्री ए० के० गोपालन : श्री स्वैल के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर हम उनको बधाई देते हैं उनके नाम का प्रस्ताव विरोधी दलों द्वारा सर्वसम्मिति से किया गया था और सत्तारूढ़ दल द्वारा उसका अनुसर्मथन किया गया था। इससे पता लगता है कि उनको सभा के सभी सदस्यों से सहयोग प्राप्त होगा। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि देश में तथा देश के बाहर गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। मुझे आशा है कि ऐसी स्थिति का वह नियमों का कठोरता से पालन न करके भी सामना करेंगे। मैं अपने दल की ओर से पुन: उनको बधाई देता हूं।

श्री के० मनोहरन (मद्रास-उत्तर) : मेरे विचार मेंयह पहला अवसर है जबकि उपाध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव विरोधी दलों द्वारा किया गया है तथा उसका समर्थन सरकार द्वारा किया गया है।

श्री स्वैल ने स्वयं को एक प्रतिष्ठित उपाध्यक्ष ने रूप में स्थापित कर लिया है। मैं काहिरा में उनके साथ रहा हूं। वहां पर उन्होंने सराहनीय कार्य किया था तथा हमारे देश का सम्मान बढ़ाया था।

सर्बसमिति से उपाध्यक्ष चुने जाने पर मैं उनको बधाई देता हूं। अपने दल को ओर से मैं उनको पूरा समर्थन देता हूं।

श्री एस. एम. बनर्जी (कानपुर) : मैं सभा में अपने दल की ओर से श्री स्वैल को को उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। श्री स्वैल धैर्य तथा निष्पक्षता के प्रतीक हैं।

मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से उनको बधाई देता हूं तथा उनको पूरे सहयोग का आश्वासन देता हूं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : महोदय सर्वप्रथम मैं आपको श्री स्वैल जैसा सहायक मिलने पर बधाई देना चाहता हूं। इसके पश्चात् मैं श्री स्वैल को बधाई देना चाहता हूं। सभा का विश्वास प्राप्त करना बहुत गर्व तथा संतोष की बात है।

नयी संसद ने दो महत्वपूर्ण स्थानों के लिए दोनों पुराने व्यक्तियों को ही चुना है। इससे प्रतीत होता है कि सभा का कार्य वास्तविकता पर अधिक आधारित होगा।

मेरे विचार में उपाध्यक्ष को अधिक बोझ उठाना पड़ता है। हम श्री स्वैल को पूरा सहयोग तथा समर्थन देने का आश्वासन देते हैं।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I congratulate Shri Swell on his unanimous re-election on Deputy Speaker of this House. We were having some concern about his health but with God's grace he is now allright.

I congratulate him on behalf of my party and assure him of full co-operation.

डा० मेलकोटे (हैदराबाद): मैं गर्व के साथ कह सकता हू कि श्री स्वैल ने सभा की सद्भावना प्राप्त की और इससे उन्होने न केवल अपनी अपितु सभा की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया है। में इस पद के लिए चुने जाने पर उनको बधाई देता हू और उनको पूरे सहयोग का आश्वासन देता हूं।

श्री पीलु मोड़ी (गोधरा) : श्री स्वैल के उपाध्यक्ष चुने जाने पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है।

मुझे आशा है कि अपना कर्तव्य निभाने में उन्हे कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं उन्हें पूरे सहयोग का आश्वासन देता हूं।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : श्री स्वैल का पुन : उपाध्यक्ष चुना जाना मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है। पिछली बार उन के नाम का प्रस्ताव निर्दलीय सदस्यों द्वारा किया गया था।

संसदीय स्वर में 1967 से कमी हुई है। संसद की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। आज जो कुछ हुआ उससे मुझे आशा है कि संसद की प्रतिष्ठा बहाल होगी।

महदोय मुझे आशा है कि आप पूरे विवेक से काम करेंगे और आप निर्दलीय सदस्यों को भी पर्याप्त समय अलाट करने की रुढ़ी को पुनः बहाल करेंगे।

श्री समर गुह (कन्टाई) : अध्यक्ष महोदय हमें श्री स्वैल के उपाध्यक्ष पद के लिए पुनः निर्वाचित होने पर अत्यंत प्रसन्नता है।

अपनी गत कार्यविधि में उन्होंने सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करने में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारियों को बड़ीईमानदारी से निभाया। विपक्षी दलों के प्रति उनका व्यवहार बड़ा सहानुभूतिपूर्ण रहा और इस बार भी हमारी उनसे प्रार्थना है कि वह सत्तारूढ़ दल के अत्यधिक बहुमत को देखते हुए विपक्षी दलों के प्रति विशेष कृपा दृष्टि रखे अन्यथा सदन की कार्यवाही नीरस हो जायेगी।

मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह उन्हें सदन की मान मर्यादा बनाए रखने की शक्ति दे।

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यंत हर्ष की बात है कि श्री स्वैल पुनः उपाध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।

चौथी लोक सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने से पहले वह विशिष्ट संसद-विज्ञ तथा उत्कृष्ट वक्ता रहे हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी योग्यता हासिल की है इसी प्रकार उन्हे सार्वजनिक जीवन में भी काफी सफलता मिली है।

पिछली बार वह आसाम राज्य के प्रतिनिधि थे किन्तु इस बार वह नए राज्य मेघालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

जैसाकि आप सब जानते हैं श्री स्वैल ने पहाड़ी क्षेत्र के दलित वर्ग के उद्धार के लिए अत्यधिक कार्य किया और इसी कारण वह उन लोगों में श्रद्धा तथा प्रेम का पात्र बन गए हैं। अपनी नम्रता तथा सज्जनता के लिए वह प्रसिद्ध हैं।

पिछली लोक सभा के कठिनाई तथा उत्तेजना पूर्ण वातावरण में भी उन्होंने मेरा साथ भली भांति निभाया। अतः उन्हें पुनः इस पद के लिए चुन कर हमने कोई जोखिम नहीं मोल लिया।

संसदीय और लोकतंत्रीय संस्थाए काफी कठिनाई में है। उन पर काफी संकट आ पड़ा है हम संसद और उसकी कार्यवाहियों को पुरानी नीतियों के अनुसार नहीं चला सकते। विश्व हमसे बहुत आगे जा रहा है और हमें उसके साथ मिलना है। हमें यह भी देखना है कि संसद जनता की उभर रही आकांक्षाओं के साथ समायोजन कर रही है अथवा नहीं। हमें अपनी प्रक्रियाओं, प्रथाओं और परम्पराओं को उदार बनाना होगा। इसके साथ-साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब तक परम्पराओं, प्रथाओं तथा प्रक्रिया और कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया जाता तब तक कोई भी संसद अपना कार्य नही कर सकती। सभा की मर्यादा तथा गरिमा को बनाए रखना अत्यावश्यक है और मैं आशा करता हूं कि सदस्य इस कार्य में मुझे तथा मेरे साथी श्री स्वैल को पूरा-पूरा सहयोग देंगे। हम भी सदस्यों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करेंगे तथा उन्हें बोलने का उचित अवसर देंगे। एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखना न केवल सदस्यों के बीच ही अनिवार्य है अपितू पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों के बीच भी यह आदर भाव बनाए रखना उतना ही आवश्यक है।

जैसाकि मैंने पिछली दफा भी बताया था मुझमें तथा श्री स्वैल में जहां कई बातों में समानता है वहां कई बातों में अत्यधिक अन्तर भी है। हम दोनों ही ऐसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते है जो सीमा के निकट है किन्तु उनके क्षेत्र के लोग इतने उग्र स्वभाव के नहीं हैं जितने कि मेरे क्षेत्र के। अतः मुझे इस विषय में काफी सावधान रहना पड़ेगा। हम दोनों इस पद पर आने से पूर्व प्राध्यापक, पत्रकार तथा वकील रह चुके हैं।

मैं एक बार फिर उन्हें इस के लिए चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वह भी नए सदस्यों को बोलने का समुचित अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही मैं सदन को भी इतने विनम्र तथा सज्जन पुरुष को उपाध्यक्ष पद पर आसीन करने के लिए बधाई देता हूं।

श्री जी० जी० स्वैल : सभा ने मेरे प्रति जो विश्वास प्रकट किया है उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं। मुझे इस बात पर पूर्ण संतोष है कि मेरा चुनाव न केवल सर्वसम्मति से हुआ है अपितु सभा के प्रत्येक वर्ग ने मुझे समर्थन दिया है। मैं आपकी आशाओं के अनुरूप कार्य करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करूगा तथा अपने आपको उस विश्वास के योग्य सिद्ध करूंगा जिसकी आपने मुझसे अपेक्षा की है। नई सभा केवल इस बात में नई नहीं कि यह नई चुनी गई है अपितु यह अपने स्वरूप में, स्वर में और गति में भी नई है। 515 सदस्यों में 291 सदस्य नए हैं तथा अधिकांश सत्तारूढ़ दल के हैं। मुझे विश्वास है कि उनमें बहुत से प्रतिभाशाली लोग छिपे हुए हैं जिनकी प्रतिभा को हमें मुखरित करना है।

जो सदस्य पिछली सभा के सदस्य रहे हैं, उन्हें स्मरण होगा कि हमें किस प्रकार तनावपूर्ण स्थिति से गुजरना पड़ा। दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए संघर्ष के कारण सभा स्थगित करनी पड़ती थी। ऐसी स्थिति में मामलों में और व्यक्तियों में संघर्ष होना अवश्यम्भावी था। ऐसा लगता था कि यह संसदीय प्रजातन्त्र अधिक देर तक नहीं टिक सकेगा। किन्तु भाग्यवश वे सब भय सर्वथा निर्मूल सिद्ध हुए और इस देश के मतदाताओं ने अपने गहत्त्व को सबके समक्ष प्रकट कर दिया। सत्तारूढ़ दल को दो तिहाई बहुमत प्राप्त होना बहुत आश्चर्य का विषय बना। उन उत्तेजनापूर्ण दिनों से अब तक की यात्रा इस प्रकार की है जिस प्रकार तूफानी सागर से शांतिमय तट पर पहुंचने की यात्रा होती है। हम सब इस दिन की उत्सुकता से प्रतिक्षा कर रहे थे। किन्तु अब मुझे इस बात का भय है कि हम इतने आराम से चल रहे हैं कि उससे कहीं हम सभा की गरिमा न खो बैठें और यदि ऐसा हो गया तो कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकेगा कि देश किस दिशा की ओर जाएगा। अतः मैं सदस्यों से यह आशा करता हूं कि वे स्वयं को जनता की आशाओं के अनुरूप सिद्ध करने का यत्न करेंगे तथा इस सदन की गरिमा को बनाए रखने में पूरा-पूरा सहयोग देंगे।

विगत समय में हमारा कार्य सभा में संतुलन रखना था। आज हमारा कार्य बाहर झांकने का प्रयास करना हैं और सभा में छिपी हुई प्रतिभाओं को प्रकट करना है और कुछ ऐसे साधन निकालने हैं जिनसे इन छिपी हुई प्रतिभाओं को काफी अवसर मिल सकें ताकि चर्चा के आधार पर जो भी निर्णय हों वे स्थिति की आवश्यकता के अनुरूप हों तथा देश को अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकें।

अन्त में मैं आपको, प्रधानमंत्री तथा अन्य दलों के नेताओं को अपने प्रति प्रकट किए गए सम्मान के लिए धन्यवाद देता हूं।

पूर्वी पाकिस्तान की हाल ही की घटनाओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. RECENT DEVELOPMENTS IN EAST PAKISTAN

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वर्णसिंह।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जैसाकि विदित है, मंत्री यदि किसी विषय को महत्वपूर्ण समझता है नियमानुसार वह स्वतः ही वक्तव्य दे सकता है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमने जो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं...

श्री समरगुह (कन्टाई) : सुबह विदक्ष के नेताओं की एक बैठक हुई और सभी ने इस बात से सहमति प्रकट की थी कि इस संबंध में एक वक्तव्य दिया जाय।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। परन्तु इस पर चर्चा की अनुमति

होगी चाहिए नहीं तो यह एक पक्षीय मामला हो जाएगा। सरकार द्वारा वक्तव्य दिया जायगा और हम सब केवल श्रोता मात्र रहेंगे। अतः मेरा निवेदन यह है कि या तो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को अनिर्णीत रखा जाय अथवा जिन सदस्यों ने ध्यान कर्षण प्रस्तावों की सूचनायें दी हैं उन्हें इस विषय पर बोलने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि आपको ज्ञात है कि जब मंत्री वक्तव्य देता है तब उस पर प्रश्न पूछने की प्रक्रिया नहीं है।

प्रधानमंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृहकार्य मंत्री, योजना मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में समस्त सदन चिन्तित है अतः इसे एक विशेष मामले के रूप में लेते हुए सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति दी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री का सुझाव प्रशंसनीय है। मैं इसे एक विशेष मामले के रूप में अपवाद स्वरूप लेने को तैयार हैं।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : हमारी सीमाओं के इतने निकट जो घटनायें घट रही है उन पर भारत सरकार का गम्भीर रूप से चिन्तित होना बहुत स्वाभाविक है इसलिए इस सदन में और समूचे देश में जो मनोभाव व्यक्त किए गए हैं उन्हें हम समझ सकते है।

मुझे विश्वास है कि 28 नवम्बर, 1969 से, यानी पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा एक लोकतांत्रिक संविधान विकसित करने और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को सत्ता सौपने की योजना घोषित किए जाने के दिन से, पाकिस्तान में जो राजनीतिक घटनायें घट रही हैं उनसे माननीय सदस्यगण पूरी तरह अवगत है।

भारत की जनता और भारत सरकार ने पाकिस्तान की जनता के प्रति हमेशा ही श्रेष्ठतम और सच्ची मित्रता की कामना की है। इसलिए हमने यह आशा की थी कि पाकिस्तान में सहज रूप से लोकतंत्र का विकास होगा और निर्वाचित प्रतिनिधि एक ऐसा संवधान तैयार करेंगे जो वहां की अधिकांश जनता की इच्छाओं को प्रतिबिम्बित करेगा जिनकी अभिव्यक्ति उन्होंने गत वर्ष दिसम्बर में हुए चुनावों के माध्यम से की है।

लेकिन, घटना चक्र ने एक दूसरा ही दर्दनाक मोड़ लिया। वह शान्तिपूर्ण विकास की बजाय रक्तरंजित संघर्ष हो रहा है।

प्राप्त समाचारों के अनुसार पाकिस्तान की सेना ने 25 और 26 मार्च की आधी रात से पूर्व पाकिस्तान राइफल्स की यूनिटों, प्रान्तीय पुलिस और जनता के विरुद्ध कार्रवाही शुरू कर दी। भारी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबरें मिल रही है। 26 मार्च को सवेरे ढाका के रेड़ियो स्टेशन पर

सेना ने कब्जा कर लिया। इसके बाद इस रेडियो स्टेशन से 15 नए मार्शल-ला विनियमों की घोषणा की गयी। जिनमें दूसरी बातों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक गतिविधियों, जुलूसों, जलसों, भाषणों और नारेबाजी पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। सभी समाचारों तथा रेडियों और टेलीविजन कार्यक्रमों को बुरी तरह सेंसर किया जाने लगा।

पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना की दो से अधिक नियमित डिवीजनें तैनात कर दी गयी हैं। इन लोगों की बात सोचकर, जिन्हें अत्यन्त मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, हमें बहुत दुख होता है।

जाहिर है हम यही चाहते हैं और आशा करते हैं कि अब भी लोकतांत्रिक रास्ते पर चलना मुमकिन होगा जिनसे वहां के अधिकांश लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी हों। हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर जाए बिना कैसे रह सकता है कि इतने लोग एक संघर्ष में फंसे हैं और इस चक्र में बहुत से लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं।

हाल ही में जब पूर्व पाकिस्तान एक प्राकृतिक विध्वंस का शिकार हुआ था तब भारत की जनता और सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन लोगों की मुसीबतें किसी कदर कम करने के लिए कार्य किया था।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय अथवा ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों के सदस्यों के साथ मिलकर हम पुनः अपना योगदान देने के लिए तत्पर हैं जिनका ताल्लुक संघर्ष के निर्दोष पीड़ितों को राहत दिलाने से है।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : बंगला देश, पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह गृह युद्ध नहीं है। वह वास्तव में एक ओर बंगला देश के निवासियों की लोकतांत्रिक भावनाओं तथा आकांक्षाओं और दूसरी ओर सैनिक तानाशाही के बीच युद्ध हैं। चुनाव में बंगला देश के निवासियों ने अवामी लीग तथा उसके नेता शेख मुजीबुर्रहमान को समर्थन दिया। उन्होंने प्रतिरक्षा तथा वैदेशिक कार्य को केन्द्र के लिए छोड़कर पूर्ण स्वायत्तता को आधार बनाकर चुनाव लड़ा। निर्वाचन के परिणाम तथा जनता की भावनाओं का सत्कार करने के स्थान पर श्री याह्या खां ने नागरिक स्वतंत्रता का दमन करना आरम्भ कर दिया। नारे लगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और भारी संख्या में लोगों को गोली से उड़ा दिया गया।

बताया गया है कि शेख मुजीबुर्रहमान ने बंगला देश को स्वतन्त्र घोषित कर दिया है और वहां के लोगों से सैनिक शक्ति का सामना करने को कहा है।

हमारे देश के सम्मुख एक और समस्या आ सकती है। बंगला देश से बहुत से लोग हमारे देश में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें उन लोगों को शरण देनी होगी। यह देखने के लिए कि

उन्हें हर सम्भव सहायता प्राप्त हो रही है, एक संगठन बनाया जाना चाहिए।

पश्चिम पाकिस्तान की सैनिक शक्तियों द्वारा किए जा रहे बबर्रतापूर्ण नरसंहार की हम भर्त्सना करते हैं और भारत के निवासियों तथा भारत सरकार से हमारा यही निवेदन है कि बंगला देश के निवासियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें :

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : पूर्वी पाकिस्तान में जो क्रांति उठी है इतिहास में इस प्रकार का कोई उदाहरण नही मिलता है और आज वहां के निवासियों को अमानवीय ढंग से दंडित किया जा रहा है।

सरकारी वक्तव्य में जो कुछ कहा गया है पूर्वी पाकिस्तान में होने वाली घटनायें उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। समझ नहीं आता कि वक्तव्य की शब्दावली इतनी निर्जीव क्यों है और पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसका मूल्यांकन वास्तविक तथ्यों के विरुद्ध क्यों है। वहां जो कुछ हुआ है वह सब मतदान का परिणाम है कि वहां की जनता के एक प्रबल तथा दुर्दमनीय वर्ग ने अपना अभिमत प्राप्त में स्वायत्तशासी अधिकारों के समर्थन से व्यक्त किया।

ढाका में जो हड़ताल हुई उसमें मुख्य न्यायाधीश से लेकर राज्यपाल के रसोईये तक ने भाग लिया, प्रत्येक ने कार्य बन्द रखा। जिस व्यक्ति को सैनिक प्रशासक बनाकर भेजा गया उसे शपथ नहीं दिलायी गई, मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार एक होकर कार्य करने का उदाहरण संसार के इतिहास में यह अभूतपूर्व है इन सभी लोगों ने एक शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक ढंग से आगे बढ़ने का निश्चय किया और अपने आपको पश्चिम पाकिस्तान की दास्ता से मुक्त कराने का निश्चय किया।

पश्चिम पाकिस्तान के तानाशाहों ने पूर्वी बंगाल के लोगों को कुचलने के लिए 70,000 सैनिक भेजे हैं। शांतिपूर्ण क्रान्ति को कुचला जा रहा है। वे अपने स्वार्थों के लिए हमारे देश को दूसरा युद्ध स्थल बनाना चाहते हैं।

पूर्वी बंगाल को जिसने स्वायत्तशासी राज्य स्थापित करने की इच्छा प्रकट की, आज कुचला जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि 7 करोड़ लोगों को कुचला जा रहा है और हम अभी तक यह सोच रहे हैं कि पड़ौसी देश में जो कुछ हो रहा है उससे हमें किस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारे अपने ही लोगों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए सरकारी वक्तव्य में एक भी शब्द नहीं है। सरकार को स्थिति का ठीक से मूल्यांकन करना चाहिए और कहना चाहिए कि इस प्रकार के नरसंहार की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि वह इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाएगी। हमारे लिए ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि भारतवासियों में तथा बंगला देश के निवासियों में कोई अन्तर नहीं है। शेख मुजीबुर्रहमान ने भारत के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने के विषय में बहुत सी अच्छी बातें कही हैं। वह पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त करना नहीं चाहते हैं बल्कि उनकी इच्छा है कि

दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हों तथा आपस में व्यापार हो। परन्तु उन धोखेबाज लोगों ने जिन्होंने ढाका में वार्ता आरम्भ की ऐसी कार्यवाही की है जो पूर्णरूप से अमानवीय कही जा सकती है ।

बड़े खेद का विषय है कि सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ सहानुभूति तक प्रदर्शित नहीं की । सरकारी वक्तव्य बहुत ही निराशाजनक है । श्री स्वर्णसिंह ने जो कुछ कहा है यदि यह इस विषय पर अन्तिम शब्द है तो मेरे विचार से सरकार भारी भूल कर रही है। हमें आशा है कि प्रधानमंत्री इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ प्रकाश डालेंगी और जो कुछ श्री स्वर्णसिंह ने कहा है उसमें कुछ ठोस बातों का योगदान करेगी। आशा है वह यह बताने का प्रयास करेंगी कि यह जो नर संहार हो रहा है भारत उसका विश्व के विभिन्न मंचों पर पर्दा फाश करेगां कि पाकिस्तान के शासक लोकतंत्र का संहार करना चाहते हैं। इस प्रायद्वीप में जो कुछ श्री मानवीय शिष्टता है उसका विनाश करना चाहते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : श्रीमन्, यह भारत तथा पाकिस्तान के इतिहास में बहुत ही गंभीर तथा महत्वपूर्ण समय है, वास्तव में समस्त दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र के लिए यह गम्भीर विषय हैं । जो कुछ समाचार पत्रों में छपा है और जो कुछ सरकारी वक्तव्य में कहा गया है उससे स्पष्ट है कि बंगलादेश के लोग गंभीर रूप से संकट-ग्रस्त हैं । प्रधानमंत्री को सभी दलों, सरकार तथा देश निवासियों को व्यथा को अभिव्यक्त करनी चाहिए । प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री के वक्तव्य को ठोस बनाते हुए अपनी व्यथा की अभिव्यक्ति करनी चाहिए जिससे उपनिवेशवादी सत्ता के विरुद्ध लड़ने वाले बंगला देशवासियों को सान्त्वना मिल सके ।

हम अपने वैदेशिक कार्य मंत्री से यह जानना चाहते हैं कि क्या मुजीबुर्रहमान तथा देश के अन्य सैनानियों ने एशियाई देशों से सहायता मांगी है। दूसरे, क्या यह सच नहीं है कि यदि शेख मुजीबुर्रहमान की सहायता नहीं की गई तो उग्रवादियों की विजय हो जाएगी जो भारत के लिए हानिकारक होगी । इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को कुछ स्पष्टीकरण करना चाहिए । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि भारतीय समुद्र से होकर वहां कोई हथियार नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। भारत के निवासी यह जानना चाहते हैं कि क्या इस संकट के समय बंगला देश के वीर सैनानियों ने कोई सहायता मांगी है, और क्या सरकार कम से कम अपनी सहानुभूति प्रकट करके ही उनकी सहायता करने के लिए तैयार है जिससे वे पश्चिम पाकिस्तान की तानाशाही से टक्कर ले सकें ।

डा० वी० के० आर० वरदराज राव (बेल्लारी) : श्रीमन्, सत्तारूढ़ दल के सदस्य के नाते मैं आज पूर्वी बंगाल में प्रजातन्त्र को दबाए जाने पर गहरा दुःख प्रकट करता हूं। इस उप-महाद्वीप के इतिहास में प्रथम बार सभी आशाओं से परे अहिंसा आन्दोलन सफल हुआ है । इस अहिंसा आन्दोलन का नेता शांतिपूर्ण ढंग से समझौता करना चाहता था, वह स्वाधीनता नहीं मांग रहा था, वह लम्बे समय से विद्यमान संकट का समाधान तथा स्वायत्तता की मांग कर रहा । यह अकल्पनीय है कि इस प्रकार की मांग को, निहत्थे और पूर्णतया अहिंसक लोगों के साथ नृशंसता का व्यवहार करके दबाया जाए। मैं नहीं समझता कि इतिहास में कोई ऐसी घटना हुई हो जहां किसी राज्य के किसी भाग का मुख्य न्यायाधीश मार्शल-ला प्रशासक को निष्ठा की शपथ दिलाने से इंकार करे। जिस

प्रकार पूर्वी बंगाल में जनता के नेताओं ने अहिंसापूर्ण तरीके से रेडियो स्टेशन को अपने अधिकार में ले लिया, ऐसी घटनायें पहले कभी नहीं हुई हैं और इस प्रकार के पूर्णतया अहिंसात्मक आंदोलन को टैंकों से कुचला जाये, जबकि समझौते के लिये वार्ता की जा रही थी। इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा था कि जहां कहीं भी अन्याय होगा, भारत अपनी आवाज उठाएगा। अभी पूर्वी बंगाल से अधिक कहीं अन्याय और आतंक नहीं है।

मैं अपने दल की माननीया नेता को स्मरण कराना चाहूंगा कि 1947 में जब उनके पिता अन्तरिम भारत सरकार के नेता थे तब उन्होंने एशियन पीपुल्स कान्फेरेन्स बुलाई थी ताकि आतंक के विरुद्ध भारत की आवाज उठाई जाये। पश्चिम बंगाल की सीमाओं के पार जो कुछ हो रहा है उसके लिए मेरे दल की नेता और भारत की प्रधान मंत्री कम से कम अपने पिताजी जितना तो साहस रखती हैं।

इस प्रसंग में मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री के वक्तव्य से हैरान हूं जिसमें टैंकों तथा हथियारों के हमलों से तड़प रहे पूर्वी बंगाल के लोगों के लिए तूफान से पीड़ितों के लिए भारत की ओर से राहत का प्रस्ताव किया गया है। क्या मृतकों को राहत दी जा रही है ? मैं प्रधान मंत्री से सुझाव देते हुए अनुरोध करूंगा कि वह अपने पिताजी की पुस्तक का कार्य पृष्ठ ले और एशियन पीपुल्स कान्फरेन्स बुलायें ताकि एशिया महाद्वीप को उपनिवेशवाद के अन्तिम अवशेष से मुक्ति मिल सके और जनता आत्म-सम्मान का जीवन व्यतीत कर सके तथा अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के अनुसार भविष्य का निर्माण करे।

श्री कृष्ण मेनन (त्रिवेन्द्रम) : अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि हमारा देश पाकिस्तान में हो रही घटनाओं को उपनिवेशवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में मानता है।

हमारी सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि पूर्वी बंगाल से आने वाले आतंकित लोगों को शरण दी जाएगी। हमारे देश को जनेवा कन्वेन्शन की तरह का सम्मेलन बुलाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और हमें इस्लामाबाद से प्राप्त सही जानकारी के आधार पर संयुक्त राष्ट्र में इस मामले की पैरवी करनी चाहिए।

हमें इस मामले को विश्व के प्रत्येक मंच पर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम मोजाम्बीक और अंगोला अथवा अफ्रीका के अन्य भागों में हो रहे दमन के विरुद्ध हैं और जब हम वियतनाम तथा अरब देशों के लोगों के साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में उनका समर्थन करते हैं तो हम अपने पड़ौस में होने वाली घटनाओं से स्वयं को कैसे अलग रख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि अन्तर्राष्ट्रीय विधियों के विरुद्ध हम कोई कार्य करें और पाकिस्तान की तरह काश्मीर में कोई कार्यवाही की जाए। इस बारे में दो राय नहीं हो सकतीं कि इस क्रान्ति को लोगों का समर्थन प्राप्त है। प्रधानमंत्री

को इण्डियन रेड-क्रास जैसे संगठनों को वहां पर भेजना चाहिये और यदि वहां के अधिकारीगण उसके लिए अनुमति न दें तो अन्य उपाय करने चाहियें ।

यह जनता की क्रांति है और जनता स्वाधीनता की मांग कर रही है और हमें वैसी गलती नहीं करनी चाहिये जैसी हमने उत्तरी वियतनाम और पूर्वी जर्मनी के मामले में की थी और हमें नई सरकार को मान्यता दे देनी चाहिए ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस स्थिति में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप को रोकने में अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए । यदि यह समाचार सही है तो उसके अनुसार ब्रिटेन तथा अन्य शक्तिशाली देश पर्यवेक्षण के लिए आधार बनाना चाहते हैं । इस मामले में हमारा सामयिक हस्तक्षेप और विरोध करना अच्छा ही है क्योंकि हमारे देश की सीमाओं के निकट शक्तिशाली देशों का हस्तक्षेप हमारे लिए मुसीबत लाने वाला हो सकता है ।

मुझे भाषण देने के लिए जो अवसर दिया गया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : इस उपमहाद्वीप में आज के दिन मैं सबसे अधिक प्रसन्न व्यक्ति हूं क्योंकि मुझे मुजीबुर्रहमान के साथ पांच वर्ष तक कार्य करने का अवसर मिला था । मैंने बहुत से लेख लिखे थे कि स्वाधीन पूर्वी बंगाल बनकर रहेगा परन्तु मुझे पागल समझा गया परन्तु आज पागल व्यक्ति का स्वप्न सच हो रहा है ।

भारतीय उप-महाद्वीप में विभाजन के पश्चात बंगला देश द्वारा स्वाधीनता की घोषणा एक महानतम घटना है । 7 करोड़ 50 लाख जनसंख्या वाले बंगला देश पर पश्चिम पाकिस्तान के उपनिवेशी शासन के विरुद्ध यह क्रांति है ।

मुजीबुर्रहमान एक महान क्रान्तिकारी व्यक्ति हैं । सभी दल, जिनमें श्री भासानी की नेशनल अवामी लीग भी सम्मिलित है, मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में संगठित हो गये हैं ।

यह प्रसन्नता का विषय है कि कुछ छावनियों और शहरी इलाकों को छोड़कर शेष समस्त असैनिक प्रशासन अवामी लीग और उसकी संग्राम परिषद के नियन्त्रण में है । यह भी संभव है कि पाकिस्तान के 80,000 सिपाहियों की फौज पूर्वी बंगाल में टैंकों, विमानों और मशीनगनों से क्रांतिकारियों को दबाने का प्रयास करें परन्तु अन्त में फौज को लोगों के सामने झुकना पड़ेगा ।

जो लोग वहां की भौगोलिक स्थिति से परिचित हैं वे जानते हैं कि फौज को वहां जनता को दबाने के प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी ।

मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि ऐसे अवसर सदा नहीं आते हैं । हमारी सरकार के लिए यह निर्णायक समय है । यदि क्रान्तिकारी आन्दोलन सफल हो जाता है तो सारे उप-महाद्वीप की

राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इससे भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों पर भी प्रभाव पड़ेगा ।

जब उचित समय आये तो हमें स्वाधीन बंगला देश की सरकार को मान्यता दे देनी चाहिये ।

बंगला देश के लोगों का असैनिक प्रशासन पर पूर्ण नियन्त्रण है और उन्हें अपने आपको स्वतन्त्र घोषित करने का भी अधिकार है । अन्तर्राष्ट्रीय संहिता के अनुसार भारत को भी बंगला देश को मान्यता देने का अधिकार है ।

भारत को अन्तर्राष्ट्रीय संहिता के अनुसार और सैनिक हस्तक्षेप न करते हुए पूर्वी बंगाल क्रान्तिकारियों को हर सम्भव सहायता देनी चाहिए ।

भारत को इस मामले के सम्बन्ध में विश्व जनमत तैयार करना चाहिये । बंगला देश की स्वायत्तता को मान्यता देनी होगी ।

भारत को बंगला देश में किये जा रहे नर-संहार का मामला संयुक्त राष्ट्र के मानवीय अधिकार आयोग के सम्मुख बिना किसी विलम्ब के उठाना चाहिए ।

मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह श्री लंका तथा ब्रिटेन से कहें कि कोलम्बो पत्तन तथा मालदीव द्वीप समूह का पाकिस्तान की सेना ले जाने के लिए प्रयोग न करने दिया जाये ।

मुझे जानकारी है कि कई हजार बंगालियों को कराची हवाई-अड्डे के पास आतंकित किया जा रहा है । हमारी सरकार उन्हें भारत से गुजरने की और अन्य सब प्रकार की सुविधायें प्रदान करे ।

श्री ए० के० सेन (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : यह केवल चिन्ता का ही समय नहीं है अपितु गर्व का समय भी है । हम दुःखी होने के साथ-साथ यह देख कर प्रसन्न है कि समग्र राष्ट्र आज क्रांति के लिये उठ खड़ा हुआ है । पश्चिम पाकिस्तान उन लाखों भोले-भाले नागरिकों को कुचलने के लिए तत्पर हो गया है जो अपने अधिकारों के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं । उन्होंने स्वेच्छा से अपने नेता को चुना है । उसने अयूब खां अथवा याह्या खां जैसे सैनिक अधिकारियों की तरह उनकेअधिकारों का हनन नहीं किया । लोगों ने स्वेच्छा से सारी शक्ति मुजीबुर्रहमान के हाथ में दे दी । सेना के अधिकारियों को सही स्थिति का पता लग गया था । अब उन्होंने लगभग 7 करोड़ भोले-भाले लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है । उन लोगों के साथ हमारा बहुत निकट का सम्बन्ध है और पाकिस्तानी सेना इस भोली जनता को मारने के लिए विदेशी हथियारों का प्रयोग कर रही है ।

मैं चाहता हूं कि हमारी प्रधानमंत्री भी उसी प्रकार कार्य करें जैसे उनके पिताजी ने इन्डोनेशिया की आजादी के आन्दोलन को डच लोगों द्वारा दबाये जाने के समय किया था ।

यह केवल बंगाल देश की ही आवाज नहीं है अपितु यह संसार के उपनिवेशों की मानव जाति से अपील है जिसमें कठिनाई में पड़े हुए लोगों की सहायता के लिए मांग की गई है।

अत: प्रधानमंत्री सारे एशिया को नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं यदि वह मानवोचित प्रयास के लिए आवाज उठायें।

हमारी सीमाओं के पार रह रहे लाखों लोगों के लिए केवल सद्भावना प्रकट करने का ही समय नहीं आया है अपितु वे हम से निकट सम्बन्ध रखते हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है और यदि हम उन्हें सहायता प्रदान नहीं करते हैं तो भविष्य में वे लोग इस बात को कभी नहीं भुलायेंगे।

सरकार को पूर्वी पाकिस्तान में भेजे जा रहे हथियारों को रोकना चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो उन जहाजों को पकड़ना चाहिए जिनमें भोली जनता का संहार करने के लिए घातक हथियार ले जाये जा रहे हों। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रति हमारी निष्ठा होने से यह हमारा कर्त्तव्य है।

वैदेशिक-कार्य मंत्री के शब्दों से हमें बहुत निराशा हुई है।

यह क्रान्ति की आवाज सद्भावना पूर्ण शब्दों के लिए नहीं है वरन् सक्रिय कार्यवाही के लिए है जिससे विश्व भावना जागृत हो सके और विदेशी हथियारों से सुसज्जित भोली जनता पर संहार करने वाले लोगों की उपेक्षा कर सके।

श्री के० मनोहरन (मद्रास उत्तर) : माननीय वैदेशिक-कार्य मंत्री का वक्तव्य बहुत ही निराशाजनक है। मैं समझता हूं कि पूर्वी बंगाल के मामले में हमें सख्त भाषा का प्रयोग करने के स्थान पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

जिस मतदान ने पूर्वी बंगाल को मान्यता तथा आजादी प्रदान की उसे इस्लामाबाद ने गोलियों का शिकार बनाया है।

मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। पूर्वी पाकिस्तान का समर्थन करने की सार्वजनिक रूप से घोषणा करने से हम वहां के लोगों का हित के स्थान पर अहित ही करेंगे। परोक्ष रूप से भारत सरकार क्या कार्यवाही करना उचित समझती है, यह बात उसी पर छोड़ देनी चाहिए।

पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए एक सशक्त जनमत बनाया जा सकता है। सर्वदलीय बैठकों द्वारा जनमत तैयार किया जा सकता है। हम उप-महाद्वीप के सभी लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं और हम पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के प्रति अपनी नैतिक सहानुभूति दिखा सकते हैं।

वैदेशिक-कार्य मंत्री इस मामले से काफी चिन्तित हैं लेकिन फिर भी उनका वक्तव्य निराशा-

जनक है। भारत सरकार को चाहिए कि वह इस पर विचार करे और इस देश के लोगों तथा इस सदन के सभी सदस्यों की भावनाओं को एशियाई-अफ्रीकी देशों तक पहुंचाये तथा विश्व का जनमत बनाये।

मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं कि हम पाकिस्तान के घरेलू मामलों में दखल दें। चूंकि वहां लाखों लोगों को गोलियों का शिकार बनाया जा चुका है, बच्चों की निर्मम हत्याएं की गयी हैं तथा महिलाओं का कत्ल तथा बलात्कार किया गया है, इसलिए यह अब पाकिस्तान का घरेलू मामला नहीं रहा। हमें मानवीय अधिकारों के दृष्टिकोण से इस ओर कदम उठाना चाहिये।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur): We cannot close our eyes to what is happening in our neighbouring country Pakistan. We had hoped for the establishment of a democratic form of Government in Pakistan after the elections held there recently, but the recent happenings have dashed our hopes to the ground. We should mobilise public opinion in commonwealth countries and the world and restrain Pakistan from indulging in this heinous crime of massacre. Government should also strive to get the democratic Government and rights restored to the people of Pakistan.

श्री हरि प्रसाद (अलवर) : पाकिस्तानी सेना का यह आक्रमण अपने देश के एक भाग पर नहीं बल्कि उन मूल्यों पर है जिन्हें हम बहुत ऊंचा स्थान देते हैं, पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपने ही देश के एक भाग द्वारा अपने दमन के विरुद्ध एक अहिंसक तथा अनुशासित संघर्ष करते आये हैं। मैं समझता हूं कि अपने पड़ौसी देश के प्रति इस देश का दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट होना चाहिए।

पूर्वी बंगाल की सरकार को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न भी सामने आयेगा जिसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। सरकार बनने के लिए जिन चार आधारभूत बातों का होना जरूरी है, वे सब पूर्वी बंगाल के मामले में दृष्टिगत हैं, यदि हम इस दिशा में समय पर कदम न उठायेंगे तो हम न केवल अपने पड़ौसी के साथ अहित करेंगे बल्कि यह बात हमारे अपने सिद्धांन्तों के प्रतिकूल होगी।

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : हमने अभी तक पाकिस्तान के लिये कोई बुरी बात नही कही। आज भी जो कुछ हम कहते हैं केवल इसलिए कहते हैं कि वह उस संकट से बाहर निकल आवे जिसमें उसने जानबूझ कर अपने आप को झोंका है। साथ ही साथ हम फ्रांस के उस भद्र-पुरुष की तरह भी व्यवहार नहीं कर सकते जिसने क्रांति फैलने पर यह कहा कि उसने क्रांति का दमन करने का निणय कर लिया हैं। अपने पड़ौसी देश में हो रहे नर संहार के तांडव नृत्य के प्रति हम अपनी आंखें नही मूंद सकते। मैं आशा रखता हूं कि सरकार पूर्वी सीमा ही नहीं अपनी पश्चिमी सीमा पर भी नजर रखेगी। सैंटो अथवा सीटो सरीखी बाहरी शक्तियां इस मामले में दखल न दें, मुझे आशा है कि सरकार इस ओर भी उचित कदम उठायेगी।

मैं अपने दल की ओर से कह देना चाहता हूं कि यह सदन, यह देश इस बात पर एकमत

हैं कि पूर्वी बंगाल के लोग मुक्ति के लिए मर मिटने का संघर्ष कर रहे है। हमें आशा है कि उन लोगों में जो नैतिक साहस और शक्ति है उसके कारण उनका आन्दोलन सफल होगा।

श्री एस. ए. शमीम (श्रीनगर) : पूर्वी पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की संकट की इस घड़ी में हमें भावनाओं में नहीं बह जाना चाहिए। इस सदन में बोले गये हर शब्द से संघर्षरत पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को प्रोत्साहन तथा साहस मिलना चाहिये। मुजीबुर्रहमान के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि वे भारत के ऐजेन्ट है। इस सदन में की गयी टिप्पणियों से भुट्टों के हाथ नहीं मजबूत होने चाहिये ... (**व्यवधान**) पूर्वी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आजादी के सैनानी मुजीब जिन्दा हैं या नहीं और क्या वे पाकिस्तान के हाथ में हैं, इन बातों की अभी हमें पूरी जानकारी नही है। हमें एकदम पूर्वी पाकिस्तान को मान्यता देने की कार्यवाही नही करनी चाहिये। इस विषय पर मैं अपने विचार रख रहा हूं ...(**व्यवधान**)

श्री समर गुह (कंटाई) : आप अकेले ही ऐसा कह रहे हैं।

श्री एस. ए शमीम : यह अल्प संख्यकों की आवाज हो सकती है जैसे आपको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, वैसा ही मुझे भी है।

यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपने का सुझाव भी सामने आया हैं। कश्मीर के मामले में पिछले २४ वर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या निर्णय किया है ?

मुजीबुर्रहमान द्वारा शुरु किये गये इस आन्दोलन को हमारी सहानुभूति की आवश्यकता है। उन्होंने यह आंदोलन भारतीय संसद तथा सरकार के भरोसे पर नहीं चलाया। वह एक बहादुर आदमी हैं। वह पाकिस्तानी साम्राज्यवाद तथा सैना के विरुद्ध लड़ने में समर्थ हैं।

संकट की इस घड़ी में हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस देश की बंगाल सरीखी समस्याओं से वे लोग लाभ उठा सकते हैं जिन्हें आज हम गालियां दे रहे हैं। देश के किसी भाग के अलग होने के परिणामों को क्या आप समझ नहीं सकते ? मैं देश से सम्बन्ध विच्छेद करने की बात का समर्थन नहीं कर सकता (**व्यवधान**)

श्री समरगुह : आपको यह कहने का अधिकार नहीं जो आपने कहा (**व्यवधान**)

श्री एस. ए. शमीम : इस सरकार ने याह्या खां सरकार को दी गयी मान्यता अभी वापिस नहीं ली। हमें मान्यता सम्बन्धी मामले पर सावधानी से विचार करना चाहिए। पाकिस्तानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध चल रहे इस संग्राम में भारतीय जनता विशेषकर कश्मीर की जनता, महान स्वाधीनता सेनानी मुजीबुर्रहमान के साथ है।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं पर विचार करते हुए हमें अपने उस अतीत को ध्यान में रखना चाहिए जब अंग्रेजों के साथ आजादी की लड़ाई लड़ते-लड़ते

हम बाहरी देशों से सहायता की आशा रखते थे। वर्तमान स्थिति में यदि हम उन्हें सहायता तथा समर्थन न दें तो हम अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहेंगे। पूर्वी बंगाल में दमन के चक्र में पिस रहे लोगों की सहायता करना भारत के लोगों तथा सरकार का कर्त्तव्य है। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की सहायता करने का यही अवसर है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी-अभी पी० टी० आई० की ओर से समाचार मिला है कि पूर्वी बंगाल के नेता शेख मुजीबुर्रहमान गिरफ्तार हो गए हैं। यह गिरफ्तारी गत आधी रात्रि के बाद हुई।

कुछ माननीय सदस्य : शर्म, शर्म !

श्री पी. के. देव : (कालाहांडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी स्वतन्त्र पार्टी की ओर से बंगला देश के $7\frac{1}{2}$ करोड़ लोगों की स्वतन्त्रता की मांग का समर्थन करता हूं जिसके लिये उन्होंने गत दिसम्बर 1970 में अपना मत साफ-साफ प्रकट किया।

कांग्रेस द्वारा धर्म के आधार पर देश का बंटवारा भले ही स्वीकार कर लिया गया हो। परन्तु देश की अखंडता के लिये क्योंकि हमने अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित अपना सर्वस्व मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिया, अतः हम इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते।

सरकार अपनी उन भूलों को याद करे जो उसने चीन द्वारा तिब्बत पर गैर-कानूनी कब्जा किये जाने, हंगरी तथा चैकोस्लोवाकिया पर हुए आक्रमण आदि के समय की थी। सरकार अब इस उचित अवसर पर जागे तथा बंगला देश के लोगों को उनकी आकांक्षाओं हेतु पूरा-पूरा समर्थन दे।

मैं अपनी स्वतन्त्र पार्टी की ओर से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पूर्वी पाकिस्तान के मामले को मानवीय अधिकार आयोग तथा अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन और अन्य सभी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उठाये तथा इसके साथ-साथ पूर्वी पाकिस्तान की जनता को हर प्रकार की राहत तथा चिकित्सा सहायता दे।

अन्त में, मैं उन शहीदों को प्रणाम करता हूं जो अपनी मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं। मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री, योजना मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सर्वप्रथम मैं उस सूचना के विषय में कहना चाहूंगी जो आप ने सभा को दी है। यह समाचार क्योंकि रेडियो पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है इसलिए संभव है यह समाचार केवल एक प्रचार मात्र हो। हमें इसे सच ही नहीं मान लेना चाहिये।

श्रीमन् शक्ति केवल शब्दों में ही निहित नहीं होती। यदि मेरे सहयोगी मंत्री ने भावातिरेक

नहीं दर्शाया तो इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार इस विषय पर उपेक्षा बरत रही है। सरकार इस अभियान के ऐतिहासिक महत्व तथा इस स्थिति की गंभीरता के प्रति पूरी तरह सजग है।

पूर्वी पाकिस्तान में सर्वथा एक नई स्थिति पैदा हुई है और वहां प्रायः सभी लोगों का एक स्वर है। हमने उस स्वर का स्वागत किया था और हमें तो आशा थी कि इस कार्य से हमारा पड़ौसी देश हमारे और समीप आयेगा जिसके फलस्वरूप दोनों देशों की जनता को लाभ होगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ और उन लोगों ने स्वयं पाकिस्तान को ही और अधिक सुदृढ़ करने का एक अनुपम अवसर खो दिया। वहां की स्थिति इस समय बड़ी ही चिन्ताजनक है।

यहां केवल एक अभियान को ही दबा देने का प्रश्न नहीं है बल्कि निहत्थे लोगों के विरुद्ध टैंकों का उपयोग करने का है। हम स्थिति का हर संभव तरीके से अध्ययन कर रहे हैं तथा मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाती हूं कि इस संबंध में उचित समय पर समुचित निर्णय किये जायेंगे। हम स्थिति के प्रति पूरी तरह सजग हैं तथा निरंतर आवश्यक संबन्ध तथा सम्पर्क बनाये हुए हैं। मैं इस कथन से सहमत हूँ कि हमें केवल मौखिक रूप से ही कार्य नहीं करना है, परन्तु साथ ही हमें अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का भी पालन करना है। वहां कत्ले-आम से संबंधित माननीय सदस्यों के सुझावों के प्रति भी हम जागरूक हैं तथा हमने इस बारे में विपक्षी नेताओं से भी विचार विमर्श किया था।

इस समय तो हम केवल वहां के लोगों से केवल सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। हमने सदैव ही दुःखी लोगों के समर्थन में अपनी आवाज उठायी है। परन्तु इस गंभीर क्षण में सरकार इससे अधिक कुछ नहीं कह सकती। मैं सदन को विश्वास दिलाती हूं कि सरकार सारी स्थिति के प्रति पूरी तरह जागरूक रहेगी तथा हम विपक्षी नेताओं के सुझाव भी यथा समय लेते रहेंगे तथा उन्हें हर संभव जानकारी देते रहेंगे।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य और पोत वहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार 29 मार्च, 1971 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :—

(1) वर्ष 1971-72 के उड़ीसा राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा।

(2) वर्ष 1971-72 की लेखानुदानों की मांगों (उड़ीसा) पर चर्चा तथा मतदान।

(3) वर्ष 1970-71 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (उड़ीसा) पर चर्चा तथा मतदान।

(4) वर्ष 1971-72 के पश्चिम बंगाल राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा।

(5) वर्ष 1971-72 की लेखानुदानों की मांगों (पश्चिमी बंगाल) पर चर्चा तथा मतदान।

(6) वर्ष 1970-71 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (पश्चिमी बंगाल) पर चर्चा तथा मतदान।

(7) वर्ष 1971-72 के मैसूर राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा।

(8) वर्ष 1971-72 की लेखानुदानों की मांगों (मैसूर) पर चर्चा तथा मतदान।

(9) वर्ष 1970-71 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (मैसूर) पर चर्चा तथा मतदान।

(विचार तथा पास करना)

(10) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 1971 राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में।

(11) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा।

(12) श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) विधेयक, 1971

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

रबड़ बोर्ड

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाली अवधि के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचन

की तारीख से आरम्भ होने वाली अवधि के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सामान्य बजट, 1971-72 सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगे (सामान्य), 1971-72

GENERAL BUDGET, 1971-72 GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (GENERAL) 1971-72

अध्यक्ष महोदय : मागों के सम्बन्ध में चर्चा 5 बजे म० प० तक समाप्त हो जानी चाहिए क्योंकि फिर उन्हें तुरन्त ही राज्य सभा में भेजा जायेगा।

श्री सी० एम० स्टीफन 19 मिनट तक बोल चुके हैं। यदि वह और कुछ भी बोलना चाहते हैं तो मध्याह्न भोजन काल के पश्चात् बोलें।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए २ बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock

---

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत् हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at 5 minutes past fourteen of the Clock

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]**

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मैसूर के बारे में उद्घोषणा

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रोनिक्स, अणुशक्ति और विज्ञान तथा तकनीकी विभागों के राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सविधान के अनुच्छेद 356 (3) खण्ड (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 27 मार्च, 1971

को जारी की गई उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 457 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०** 26/71]

(2) उपयुक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (घ) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 458 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०** 27/71]

(3) राष्ट्रपति को भेजे गए मैसूर के राज्यपाल के दिनांक 26 मार्च, 1971 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 28/71]

———

लापता विमान के बारे में वक्तव्य

STATEMENT ON MISSING AIRCRAFT

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : मुझे सभा को यह सूचित करते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि जामेर एयरलाइन्स का एक डकोटा विमान वीटी-एटीटी 26 मार्च, 1971 को गोहाटी से कलकत्ता जाते समय गत रात्रि 8 बजे से लापता है। इस विमान में 11 यात्री तथा 4 विमान कर्मचारी सवार थे।

भारतीय वायुसेना के एक विमान तथा एक हेलीकाप्टर ने आज प्रातः लापता विमान की खोज $1\frac{1}{2}$ घण्टे तक की परन्तु लापता विमान का अभी तक कोई पता नहीं चला है तथा उसको खोज निकालने के प्रयास जारी है। ज्योंही मुझे आगे जानकारी मिलेगी मैं सभा को सूचित करूंगी।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : इस गैर-सरकारी विमान-सेवा कम्पनी के विमान में यात्री कैसे थे ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : ऐसी दुर्घटनाओं के पश्चात् इण्डियन एयरलाइन्स की हड़ताल का महत्त्व अधिक हो जाता है। मेरी प्रभू से प्रार्थना है कि लापता विमान के यात्री तथा कर्मचारी सकुशल बच जायें। परन्तु प्रायः यही समझा जाता है कि लापता विमान दुर्घटना ग्रस्त हो जाते हैं। हमें अब शीघ्र ही इण्डियन एयरलाइन्स की हड़ताल सम्बन्धी विवाद को हल करना चाहिये।

मैंने इस सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की समस्त विमान सेवा ठप्प हो गई है। अब कुछ गैर-सरकारी कम्पनियों को घटिया विमान उड़ाने की अनुमति दी गई है। जिससे कि यात्रियों की मृत्यु होती है। ऐसे मौके पर हम कैसे चुप रह सकते हैं। हमने इण्डियन एयरलाईन्स में तालाबन्दी के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था। कल मंत्री महोदय ने बोइन्ग विमान के टायर फटने की दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने की दुखद सूचना दी। यह दुर्घटना इन मृत अधिकारियों द्वारा अत्याधिक कार्य किये जाने के फलस्वरूप हुई। आज 11 यात्री तथा 4 विमान कर्मचारियों सहित एक विमान लापता है। इन सब बातों के लिए सरकार तथा विमान-सेवा प्रबंधक उत्तरदायी है। आप गैर-सरकारी कम्पनी को घटिया विमान उड़ाने की अनुमति क्यों देते हैं ?

डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी : जामेर कम्पनी वर्ष 1966 से ही इण्डियन एयरलाइन्स की ओर से विमान उड़ाती रही है। फिर पालम पर दो अधिकारियों की मृत्यु तथा इण्डियन एयर-लाइन्स में तालाबन्दी दो विभिन्न तथा पृथक-पृथक बातें हैं।

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : गत एक वर्ष की अवधि में यह तीसरी दुर्घटना है। सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

सामान्य बजट, 1971-72 सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1971-72

GENERAL BUDGET 1971-72 GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (GENERAL), 1971-72

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बजट (सामान्य) तथा 1971-72 वर्ष के बजट (सामान्य) के संबन्ध में लेखानुदानों की मांगों तथा उन पर कटौती प्रस्तावों पर आगे चर्चा तथा मतदान करेंगे।

हमें इस चर्चा तथा बजट सम्बन्धी सभी कार्यवाही को शाम 5 बजे म० प० तक पूरा करना है। अत सभी सदस्य संक्षेप में बोलें।

श्री सी. एम. स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : बजट में जो मजदूरी वृद्धि पर रोक लगाने की बात है उस बारे में मैं जानना चाहता हूं कि इसे किस ढंग से कार्य रूप दिया जायेगा ? एक बात अवश्य है कि मजदूरी के स्तर को एक सीमा तक रोकने की आज बहुत आवश्यकता है। वास्तव में भारतीय श्रमिक

बहुत बड़ा देश भक्त है और वह इस बलिदान को स्वीकार भी कर लेगा परन्तु इसके लिए उचित मनोवैज्ञानिक वातावरण होना चाहिए तथा बलिदान के स्वीकार करने में समाज के अन्य अंग भी उसके सहयोगी बनें। आज वेतनों में बहुत अधिक अन्तर के कारण वह वातावरण नहीं है और हमें इस प्रश्न पर केवल वित्तीय दृष्टि से नहीं राजनैतिक दृष्टि से भी विचार करना है।

आज आम भारतीय अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। कोई भी इस बात को सहन नहीं कर सकता कि किन्हीं लोगों को इस प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हों जो उसे प्राप्त नहीं हो सकते। अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना है कि इस प्रकार की बातें समाप्त हों।

इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि नियमित बजट के समय संसाधन जुटाये जायेंगे। किसी को भी इस बारे में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। इसलिये जिस स्रोत से भी संसाधन उपलब्ध हो सकें और जहां पर भी अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं यह जुटाये जाने आवश्यक हैं।

बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जिस कार्यक्रम की मंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई है उसी प्रकार का कार्यक्रम प्रादेशिक स्तर पर भी होना चाहिए। प्रादेशिक स्तर पर इन कार्यक्रमों को लेकर अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है जो राष्ट्रीय स्तर के लिए उदाहरण बन सकती है।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : मणिपुर के सम्बन्ध में 1970-71 के लिए अनुपूरक मांगों पर बहस के दौरान श्री शुक्ल ने मणीपुर तथा त्रिपुरा को सम्पूर्ण राज्य का दर्जा देने सम्बन्धी जो वक्तव्य दिया उसका मैं स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि अगले बजट सत्र के दौरान इस वचन को कार्यान्वित किया जायेगा।

प्रशासन सुधार आयोग ने मणीपुर तथा त्रिपुरा के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं। उनको यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए। त्रिपुरा के लोगों पर राजनैतिक अत्याचार किये जा रहे हैं। हमारी चुनाव सभा में भाग लेने के कारण चाय बागान मजदूरों की झौंपडियां जला दी गईं। वहां पर तालाबन्दी घोषित कर दी गई। यह सब इस कारण हुआ है कि लोगों को आंतकित किया जा सके ताकि वह सत्ताधारी दल की विचारधारा को स्वीकार करें। हमारे समर्थक की दुकान पर आक्रमण किया। उसकी जायदाद जला दी। उदयपुर में मेरी चुनाव सभा पर बम फेंका गया। यहां पर हम लोकतंत्र के विकास की बात करते हैं। परन्तु क्या यह लोकतन्त्र है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इन सब बातों का बजट से क्या सम्बन्ध है ?

श्री दशरथ देव : मैं उसी ओर आ रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब त्रिपुरा तथा मणीपुर को राज्य का दर्जा दिये जाने के बारे में विधेयक लाया जाये तो इस बात की ओर ध्यान दिया जाये कि कबायली क्षेत्र की प्रादेशिक स्वायत्तता का भी उसमें स्थान हो। हमारी ओर के

कबाइली क्षेत्र की सीमा का निर्धारण फिर से किया जाए। ऐसे क्षेत्र जहां कबाइली लोग कम हैं अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित हैं तथा कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर कबाइलियों की बहुतायत है उसमें सम्मिलित नहीं हैं। अतः इस सम्बन्ध में सीमा निर्धारण का कार्य फिर से किया जाए।

हमारा राज्य घाटे की अर्थ व्यवस्था वाला राज्य है। यहां पर बहुत से विस्थापित व्यक्ति आबाद हैं तथा पाकिस्तान की अबकी घटनाओं के कारण बहुत से और लोगों के वहां आने की सम्भावना है। त्रिपुरा सरकार इन सब का भार वहन करने में असमर्थ है। अतः इन सब लोगों के पुनर्वास के प्रबन्धों का दायित्व केन्द्र वहन करे। मेरी मांग है कि अगले सामान्य बजट में इन अभागे लोगों के पुनर्वास के लिए अधिक राशि की व्यवस्था की जाये।

श्री सी० ई० भट्टाचार्य (गिरिडीह) : श्रीमती इंदिरा गांधी तथा अन्य नेताओं को जो भारी बहुमत प्राप्त हुआ है उसके परिणाम स्वरूप उन पर एक बहुत बड़ा दायित्व आया है और वह है शान्तिपूर्ण परिवर्तन लाना और गरीबी को हटाना। दूसरी तथा तीसरी योजनाओं के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था के निष्पादन और बीच के समय के असंख्य अवरोधों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इन सब के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

अब तक इन सब स्थितियों का केवल मात्र हल उत्पादन-शुल्क रहे हैं। परन्तु वर्तमान स्थिति की विशेषता यह है कि कृषि उत्पादन तथा मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है परन्तु उद्योग की प्रगति में कमी आई है। जिसके कारण मुद्रा स्फीति का प्रभाव हुआ है। हमने अब तक अत्यधिक आयोजना की है परन्तु उसका कुछ प्रभाव प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर नहीं पड़ा। गिरिडीह की कोयला खानों से 5000 मजदूरों की छंटनी हो गई है। अभ्रक उद्योग एक अन्य श्रम-प्रधान उद्योग है परन्तु अवमूल्यन के पश्चात अभ्रक पर निर्यात शुल्क का इस उद्योग पर इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है कि अभ्रक का तस्कर व्यापार हो रहा है। जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है और अभ्रक निर्यात उद्योग कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रीकृत हो रहा है।

वित्त मंत्री ने जिलावार विकास की बात की है। परन्तु उसके लिए जिलावार आधार आंकड़े आवश्यक हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि एक आधार सामग्री बैंक की स्थापना के लिए हम शीघ्र ही प्रबल कदम उठायें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक प्रादेशिक विषमता बढ़ेगी ही जैसा कि पिछले 20 वर्षों की आयोजना के फलस्वरूप हुआ है। हमने छोटे लोगों को अवसर प्राप्त करवाने हैं जिससे कि रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि हो न कि इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हों कि कोयला खानों में श्रमिकों की छंटनी हो और अभ्रक उद्योग एक छोटे स्तर के उद्योग के रूप में न पनप कर कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित होकर पनपे।

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : बजट पेश करने पर मैं गृह कार्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : गृह-कार्य मंत्री को या वित्त मंत्री को ?

श्री पीलु मोदी : मैंने गृह-कार्य मंत्री कहा है। मैं श्री चव्हाण को बजट पेश करते हुए एक स्वतन्त्र भाषण देने के लिए भी बधाई देता हूं। बजट भाषण में कुछ ऊंची-ऊंची बातें भी की गयी हैं जो मेरे विचार में किन्हीं राजनैतिक उद्देश्यों से की गयी हैं। बजट प्राक्कलन पढ़ने पर मैंने देखा है कि सरकार कई क्षेत्रों में बुरी तरह से असफल रही है। विभिन्न परियोजनाओं पर आने वाले व्यय के लिए बजट रखा गया है। उदाहरण के लिए विभिन्न सरकारी कम्पनियों में लगायी गयी पूंजी वसूल नहीं की गयी। जब वे बजट के अनुसार लगायी गयी पूंजी की वसूली नहीं कर सकते तो ये इसे बचत कहते हैं।

बेरोजगारी हटाने सम्बन्धी सरकार की चेष्टा का मैं स्वागत करता हूं। जब तक आप बेरोजगारी की समस्या हल नहीं करते उस समय तक आप किसी और समस्या को भी हल नहीं कर सकते। पिछले बजट में बेरोजगारी दूर करने के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी जिस में से केवल 6 करोड़ रुपए व्यय किया गया है और शेष 19 करोड़ रुपये की बचत की गयी है। इस बजट में 50 करोड़ रुपया रखा गया है। मैं नहीं समझता कि इन 50 करोड़ रुपयों से बेरोजगारी दूर होगी। बजट में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि बेरोजगारों के लिए कितने नये स्थान बनाये जायेंगे। मंत्री महोदय ने कहा है कि वे मई में इस बात का उत्तर देंगे।

यह कहते हुए कि पिछले वर्ष राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है, सरकार ने खुद ही अपने आपको शाबाशी दी। श्री चव्हाण ने इस बात का भी कोई जिक्र नहीं किया है कि प्रति व्यक्ति आय में कितनी बढ़ौतरी हुई है।

बजब भाषण में यह भी कहा गया है कि औद्योगिक विकास में 6 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। मेरे विचार में यह पर्याप्त नहीं। मेरे विचार में इसे दुगुना किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि पिछले वर्ष अधिक लाईसेन्स जारी किये गये। हम जानते हैं कि ये लाईसेन्स जल्दी जल्दी क्यों दिये गये।

मंत्री महोदय ने इस बात का भी कोई जिक्र नहीं किया कि कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिये क्या-क्या कदम उठाए गये।

साधन जुटाने की समस्या अब भी पहले सरीखी है। यहां पर भी वित्त मंत्री ने यह संकेत दिया है कि वे एक अच्छे गृह मंत्री हैं। वित्त मंत्री नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार तथा सत्ता-रूढ़ दल के सामाजिक लक्ष्य आपस में मेल नहीं खाते। पिछले 25 वर्षों से ऐसा ही होता रहा है। इस देश पर 25 वर्षों तक शासन करने के बाद कहते हैं कि ये गरीबी दूर करना चाहते हैं। गरीबी नारे लगाने से दूर नहीं हो सकती। आर्थिक क्षेत्र की समस्याओं का हल किसी न किसी तरह ढूढ़ना ही होगा।

साधन जुटाना जरूरी है। सरकार के अनुत्पादक व्यय तथा नौकरशाही पर अंधाधुंध व्यय

पर रोक लगाना जरूरी है। सरकारी क्षेत्र से सरकार को 800 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की आय हो सकती है। करों की वसूली सम्बन्धी ढील से प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। कई क्षेत्रों में तो कर लगाये भी नहीं गए हैं। कर सम्बन्धी सारे कानून इमानदारों को सजा देने तथा बेईमानों तथा भ्रष्टाचारियों को छूट देने के लिए बने हैं। जब तक देश से राजनैतिक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा उस समय तक बेरोजगारी तथा गरीबी दूर नहीं हो सकती और न ही मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है।

Shri Tarkeshwar Pandey (Salempur) : We are having mixed economy by which we cannot solve our problems. There is a tall talk about socialism. We have to define as to what is meant by socialism. We can not befool the society any longer. The budget presented by the Finance Minister has not thrown light over these points. We have to bring about changes in the present system of mixed economy. There can be no solution to our problems so far as there is state control over the sources of production and distribution.

Many regions and areas of the country are still backward and the area which I represent is also one of them. I request the Finance Minister to pay attention to this area and inlude the same in the list of backward districts.

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : मेरे राज्य जम्मू तथा काश्मीर पर मुख्यतः दो आरोप लगाए जाते हैं। एक तो यह है कि केन्द्र से उसे सहायता और राज्य सहायता उदारता से प्राप्त हो रही है और दूसरी यह है कि काश्मीर का अपना विशेष दर्जा है। मैं ये दोनों बातें स्वीकार करता हूं। किन्तु साथ ही मैं वित्त मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि राज्य को केन्द्र से जो सहायता, ऋण या राज सहायता मिलती है उसका पूर्ण लाभ सरकार को नहीं मिल पा रहा है। इसका एक उदाहरण यह है कि एक जांच आयोग ने, जो राज्य के एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध जांच के लिए नियुक्त किया गया था, यह निष्कर्ष निकाला था कि उस मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से सहायता या ऋण के रूप में प्राप्त राशि में से बहुत अधिक राशि का गोलमाल किया।

काश्मीर में इस समय क्या हो रहा है इस बात का अनुसान इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां सभी औद्योगिक संस्थानों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात है। लगभग दो वर्ष पूर्व प्रधान मंत्री ने बड़े जोर-शोर से काश्मीर के औद्योगीकरण का अभियान शुरू किया था। किन्तु अभी तक वही केन्द्रीय सरकार की एक भी ऐसी परियोजना नहीं है जो रोजगार-प्रधान हो।

निस्संदेह काश्मीर का विशेष दर्जा है। मैं उनमें से हूं जो इसका समर्थन करते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि काश्मीर को किस दृष्टि से विशेष दर्जा प्राप्त है। काश्मीर राज्य की सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह निवारक नजरबन्दी कानून बना सकती है, जिसके अन्तर्गत वह लोगों को बिना जांच कराये दो वर्ष तक नजरबन्द रख सकती है। एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री जिसे विधान सभा के निर्वाचन के लिये अयोग्य ठहराया गया था उसे लोक सभा निर्वाचन के लिए योग्य घोषित कर दिया गया। काश्मीर में गत 24 वर्ष में एक बार भी स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन नहीं हुए हैं।

इस अर्थ में कहा जा सकता है कि काश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस बात की जांच की जाए कि जो धन काश्मीर राज्य को दिया गया है उसका सदुपयोग हुआ है अथवा नहीं। मेरा यह कहना है कि काश्मीर को जो विशेष दर्जा प्राप्त है उसका लाभ काश्मीर राज्य को मिलना चाहिए न कि कुछ विशेष व्यक्तियों को।

काश्मीर राज्य में शिक्षित लोगों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अतः वहां पर कुछ ऐसी केन्द्रीय परियोजनाएँ स्थापित की जायें जो वहां रोजगार के अवसर जुटा सकें, और राज्य के शिक्षित युवक इंजीनियर तथा तकनीकी विशेषज्ञ रोजगार पा सकें। अन्त में, मैं वित मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसा कार्य करें जिससे वहां सुखद जीवन और ईमानदार प्रशासन उपलब्ध हो सके।

Shri K. C. Pandey (Khalilabad) : Mr. Speaker, Sir. I would like to draw the attention of the hon. Minister to the backward area of Utter Pradesh, which I represent. Even after independence, not a single factory has been installed there. There are no roads and bridges. Although we have been hearing sine 1952 that a bridge would be constructed over Saryoo river, yet no bridge has been constructed so far. A bridge over this river should be constructed in order to link Khalilabad directly to Allahabad. There is a bank in Khalilabad, which is a victim of mismanagement. This bank does not issue loans to poor people, who want to purchase rickshaws or run a small or cottage industry. I would like to draw the attention of the Minister for communications to the fact that the telephone line is not properly working in Khalilabad. It should be set right. The Capacity of metre board should be increased from 50 to 100. Further, I would like to draw the attention of Railway Minister to the fact that Khalilabad Railway Station is in the south while the town is in the North and it causes a great deal of inconvenience. A mail train which passes in the day, does not stop at Khalilabad Station. This mail train should stop at this Station. Moreover, an industrial unit should be set up at Khalilabad. It will be a step towards the upliftment of eastern Utter Pradesh. In District Basti, there are ten to twenty rivers namely Ghaghra, Sarjoo, Rohini etc. These rivers cause floods in the areas of this district every year. Some flood control measures should be adopted to save this district from devastation. The Home Minister should take note of the fact that the voters were intimidated in the last election in my constituency by the rival political parties. In the end, I again request the Government to pay attention to the eastern part of U. P. which is the most backward area in our country.

Smt. Sahodrabai Rai (Sagar) : The Finance Minister has presented a praiseworthy budget. I will request him that greater attention should be paid to the development of rural areas. These areas have been neglected for the last 24 years. The Government should set up industries in rural areas. My Constituency Sagar which is a backward area continues to be neglected. There is a lot of unemployment there. Some of the industries should be opened there so that the people may get employment. Railway lines should be laid so that the people may get some relief.

Steps should be taken to prevent dacoitics in that constituency. Centre has not given any assisstance to that State.

The main cause of dacoity is that the policemen get only one rupee fifty paisa as daily allowance. It is very difficult for them to make both ends meet with this petty amount. I am of the view that the constables should be paid at least 4 or 5 rupees per day as daily allowance.

A medical College should be opened in Sagar District.

Arrangements should be made for the education of women. They should also be provided employment opportunities. Free education upto college should be provided for girls.

People of Madhya Pradesh should be employed in the factories of Madhya Pradesh. Educated engineeres in my State are not able to get employment. I request that necessary steps should be taken in this regard.

Privy purses of the rulers shoud be abolished.

The rulers should distribute their surplus money for the welfare of the people. The Government should bring forward a Bill which may be helpful in abolishing poverty and unemployment.

Irrigation facilities should be provided in Madhya Pradesh. This can be done by constructing big dams in the state. More and more industries should be set up in the state in private and public sectors. Some development projects should be started there so that people may have at least some satisfaction.

श्री सी० चित्ति बाबू (चिंगल पट): वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है कि इस वर्ष कपास और तिलहन की कमी होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि समस्त धन कुछ व्यक्तियों के पास जमा नहीं होना चाहिए। सरकार ने चुनाव से तुरन्त पहले बहुत सारे लाइसेंस जारी किये थे। क्या इससे धन कुछ व्यक्तियों के हाथ में जमा नहीं हो जायेगा ?

बजट प्रस्तुत करते समय प्रत्येक बार यही कहा जाता है कि मूल्यों को कम किया जायेगा। अबकी बार भी यह कहा गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

यदि देश में अधिक उत्पादन होगा तो स्वभावतया मूल्य नहीं बढ़ेंगे। इसके लिये हमें किसानों को उर्वरकों और बिजली पर 50 प्रतिशत छूट देनी चाहिए। ऐसा करने से किसान अधिक उत्पादन करेंगे।

इस बजट में 230 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह इस घाटे को कैसे पूरा करेंगे ?

आयकर के अपवंचन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। इस सम्बन्ध में सरकार को खंडीय समितियों का गठन करना चाहिए ताकि स्थानीय क्षेत्र के साधारण नागरिकों से यह पता लग सके कि हाल ही में किस व्यक्ति ने बहुत अधिक पैसा कमाया है और आयकर अधिकारी उससे आयकर की धनराशि वसूल कर सकें।

यदि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उनकी बकाया धनराशि का भुगतान उचित समय पर कर देती है तो उन्हें रिजर्व बैंक से अधिक धनराशि निकालनी नहीं पड़ेगी।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है लेकिन उनके (अभिरक्षक कस्टोडियन) असामाजिक व्यक्ति हैं। वे गरीब जनता की सहायता नहीं कर रहे हैं। अतः मैं निवेदन करूंगा कि उन्हें हटाकर उनके स्थान पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो जनता की सहायता करें।

केन्द्र तथा राज्यों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित किए जाने चाहिएं। इसके लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र को दिए गए अधिक अधिकारों में से राज्य सरकारों को भी और अधिकार दिए जाने चाहिएं।

यदि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सहायता करना चाहती है तो उसे केन्द्रीय बिक्री कर, रेलवे यात्रा उपकर जैसे करों को राज्य सरकारों को वसूल करने का अधिकार देना चाहिए।

सरकार को गरीबी दूर करने के रास्ते में आने वाली रुकावटों को संविधान में संशोधन कर दूर करना चाहिए।

श्री पी० के० घोष (रांची) : महोदय ! पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गत 24 वर्षों में भारत में गरीब लोग उत्तरोत्तर गरीब तथा अमीर लोग अमीर होते चले गये हैं तथा मध्य वर्ग अत्यन्त निर्धन हो गया है।

इसका कारण यह है कि हमारे यहां कर की दरें बहुत ऊंची हैं। जो लोग ईमानदारी से कर अदा करते हैं उनकी वास्तविक आय बहुत कम रह जाती है। किन्तु जो कर का अपवंचन करते हैं वे अमीर हैं। वे लोग केवल आय कर का ही अपवंचन नहीं करते वरन् ये बिक्री कर और उत्पादन शुल्क का भी अपवंचन करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा मंत्री महोदय के भाषण में गरीबी और बेरोजगारी हटाने तथा विषमता को दूर करने का उल्लेख किया गया है। किन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मौलिक कदम उठाने पड़ेंगे जिससे इन अमीर लोगों को मनमानी करने से रोका जा सके। ये लोग अधिकारियों को भी भ्रष्ट करते है। इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारी भी इस सम्बन्ध में निर्दोष नहीं है। वास्तव में अंग्रेजों ने अपने स्वार्थों को पूरा करने की दृष्टि से उन्हें प्रशिक्षित किया था। ये लोग पूंजीतियों से घूस लेते हैं तथा उनके हाथों बिक जाते है। पूंजीपतियों में कोई राष्ट्रीय भावना नहीं है और इसी कारण वे दिन प्रति दिन अमीर होते जा रहे हैं। मैं सरकार की भावना का आदर करता हूं और साथ ही यह भी निवेदन करता हूं कि वह अपने कार्य-

क्रमों की क्रियान्विति तथा कर वसूली के कार्य को समाजवाद में विश्वास रखने वाले अधिकारियों पर ही सौंपे।

मई के बजट में कुछ कर लगाये जाने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री ऐसा कोई अप्रत्यक्ष कर न लगाएं जिससे साधारण जनता पर भार पड़े। कर अधिक आय वाले वर्ग पर तथा विलास सामग्री पर लगाए जाएं। जन साधारण के उपभोग की वस्तुओं पर कर में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिये।

कर मुक्त आय की निम्नतम सीमा को बढ़ाकर 7500 रुपये कर दिया जाना चाहिये। क्योंकि अब रुपये का मूल्य बहुत कम हो गया है। साथ ही हमें छोटे-छोटे व्यापारियों को ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये जिसमें वे कर अपवंचन का प्रयास करें। आय-कर का सबसे अधिक भार वेतन भोगी वर्ग पर पड़ता है क्योंकि वे लोग अपनी आय को छुपा नहीं सकते। अतः उनके साथ न्याय करने के लिये कर मुक्त आय की निम्नतम सीमा 7500 रुपये प्रतिवर्ष कर देनी चाहिये।

मेरा यह भी सुझाव है कि कर की 93 प्रतिशत की ऊंची सीमा को भी कम किया जाना चाहिए क्योंकि इसके कारण व्यक्तियों को कोई प्रोत्साहन नही रहता। साथ ही यह भी आवश्यक है कि कर की वसूली उचित ढंग से की जाये तथा किसी को कर अपवंचन का अवसर नहीं दिया जाये। इससे वसूल होने वाले कर की राशि दुगनी हो सकती है।

सम्पदा शुल्क की दर बहुत अधिक होनी चाहिये। वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत ही बिना किसी कठिनाई के ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि मृत्यु के पश्चात किसी भी व्यक्ति के उत्तराधिकारी 5 लाख रुपयों से अधिक की सम्पदा का स्वामी नहीं हो सकता तथा 5 लाख रुपयों से अधिक राशि से 99 प्रतिशत की राशि सरकार की होगी। इस सम्बन्ध में सम्पत्ति के हस्तातंरण के ऊपर भी उपयुक्त नियंत्रण रखना होगा।

विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण से हमें भारी संसाधनों की प्राप्ति हो सकती है। आयात लाइसेंस धारी बड़े-बड़े जमींदार विदेशी वस्तुओं की चोर बाजारी से भारी लाभ कमा रहे हैं। अतः सरकार को स्वयं उन वस्तुओं का आयात करना चाहिये तथा गैर-सरकारी आयातकर्ताओं द्वारा लिये जाने वाले मूल्यों पर उनको बिक्री करनी चाहिए जिससे सरकार को भी उतना ही लाभ हो सके। मुझे विश्वास है कि यदि सरकार ऐसा व्यापारिक दृष्टिकोंण अपनाए तो उसे कम से कम 1000 करोड़ रुपयों का लाभ हो सकता है।

सरकार को काले धन का पता लगाने का भी प्रयास करना चाहिये। मेरे विचार से माननीय वित्त मन्त्री इस कार्य में सफल हो सकते है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में तथा मन्त्री महोदय के भाषण में नगरीय सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने का उल्लेख किया गया है। किन्तु उसके लिए सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपयों का मुआवजा देना होगा। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि संविधान में संशोधन किया जाये तथा ऐसी

व्यवस्था की जाये जिसके अन्तर्गत 5 लाख रुपयों के मूल्य की सम्पत्ति को बिना मुआवजा दिये अधिकार में लिया जा सके। इतनी बड़ी सम्पत्तियों के स्वामियों ने अब तक बिना कोई कार्य किये काफी लाभ उठा लिया है। साथ ही ऐसा करने से काले धन की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। देखा गया है कि अमीर व्यक्तियों की संतान बिना कोई कार्य किये महाराजाओं जैसा जीवन व्यतीत करती है जबकि हमारे देश के बहुत से शिक्षित युवक कठिन परिश्रम करने को तैयार हैं किन्तु उन्हें कोई रोजगार ही नहीं मिलता। अब देश इस विषमता को सहन नहीं कर सकता। अतः सरकार को गरीबी हटाने, लोगों को रोजगार देने तथा काले धन का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी ही चाहिये।

मेरा भी सुझाव है कि कर के सम्बन्ध में केवल उन्हीं व्यक्तियों को कुछ राहत दी जानी चाहिये जो पिछड़े हुए क्षेत्रों में कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं।

Shri S. B. Thakre (Yootmal) : Sir, I represent the backward districts of Maharashtra. Being an agriculturist. I understand the existing needs of the farmers. I also realise that without increasing the agricultural production poverty can not be eradicated from this country. Therefore, Government should not hesitate to spend more on the supply of better seeds and futilizers to the farmers.

Government should also conduct a survey to assess the total unirrigated land in the country. Attempts should also be made to precious irrigation facilities to the farmers because the farmers can do precious little without this facility. For want of irrigation facilities as many as 21 out of 26 districts were affected by famine this year.

The economic conditions of the farmers are so deplorable that they are not able to send their children to school for education, or repair their houses. I feel that unless the agriculturist and the peasants of the country are made self-sufficient. Nation as a whole can never make any progress.

Provision has been made by the Maharashtra Government now to give loans to the agricultural labour for the period of one year only but this period is not adequate. I request that this limit should be raised.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पिछले पांच अथवा छः घण्टों में बजट भाषण पर बहुत रचनात्मक भाषण हुए हैं। पुरानी कांग्रेस के नेता श्री सी० सी० देसाई ने भी बहुत रचनात्मक तथा विनम्र भाषा में हमारे दल के नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रशंसा की है। साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के प्रवक्ता ने यद्यपि बजट को एक पूंजीवादी बजट बताया है तथापि उन्होंने कुछ बातों को स्वीकार भी किया है। स्वतंत्रता दल के सदस्य ने यद्यपि इसको स्वतंत्र बजट कहा है फिर भी उन्होंने इसकी आलोचना की है जैसे कि यह साम्यवादी बजट हो। अतः इससे पता लगता है कि हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसमें कुछ नई बातें हैं। राज्य सरकारों से हुई बातचीत के आधार पर उनको दी जाने वाली सहायता में आगामी वर्ष से वृद्धि की जाएगी। लोगों के नये निर्णय को देखते हुए हमने अपने बजट भाषण में कहा था कि हम स्थिति का पुनर्विलोकन करके अपने दृष्टिकोण

में सुधार लायेंगे तथा कुछ पहलुओं में अपनी नीतियों का पुनर्निर्माण करेंगे। इन सब बातों को देखते हुए हमने आर्थिक स्थिति की समीक्षा की है। हमने अर्थ-व्यवस्था की सुदृढ़ता तथा कमजोरी की ओर ध्यान दिलाया है। आगामी वर्षों में हमारा प्रयास अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना तथा कमजोरी को दूर करना है। इसी कारण हमने कृषि और उद्योग के सम्बन्ध में विशेषकर मूल्यों की समस्या तथा वित्तीय समस्याएं आदि की नीतिओं का उल्लेख किया है। हमने यह नहीं कहा कि सब कुछ ठीक है।

कृषि के प्रश्न की चर्चा करते समय हमने व्यापारिक फसलों विशेषकर कपास तथा तेल के बीजों के क्षेत्र में अपनी कमजोरी का उल्लेख किया है। इस क्षेत्र में हम कृषि अनुसंधान केन्द्रों में किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ उठा सकते हैं और इस प्रकार हम बिनौले तथा तेल के बीजों की नई किस्में उगा सकते हैं। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई हम उत्पन्न नहीं होने देगें।

यह ठीक है कि मैंने विश्व में बढ़ते हुए मूल्यों का उल्लेख किया था परन्तु इससे मेरा तात्पर्य भारत में मूल्यों में वृद्धि की रक्षा करना नहीं था। मैंने तो केवल विश्व में बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया था। इसका हमारे देश पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है क्योंकि हम भी विश्व की अर्थव्यवस्था का एक अंग हैं।

मूल्यों को स्थिर रखने के लिए हमें मांग तथा सप्लाई के दोनों मोर्चों पर प्रयास करना होगा। जहां तक सप्लाई को ठीक करने का सम्बन्ध है हम कच्चेमाल के आयात को बढ़ाएंगे।

जहां तक कपास का सम्बन्ध है इसके उत्पादन में कमी हुई है और इसी कारण इसके मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई हैं। दूसरे जानबूझकर भी कमी उत्पन्न की गई थी जिस कारण हमने कुछ कार्यवाही की। मूल्यों की समस्या को हल करते समय हमें अनेक प्रकार के प्रयास करने होंगे। हमें कच्चे माल के उत्पादन की ओर अधिक ध्यान देना होगा। इसके साथ-साथ हमें सहकर्ता से कुछ वित्तीय नीतियों का भी अनुसरण करना होगां। जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है इसके उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अतः इसका मूल्य स्तर पर भी प्रभाव हुआ है। अन्य खाद्यानों पर भी इसका प्रभाव हुआ है।

कुछ राज्यों में चावल के मल्य कुछ अधिक है परन्तु गत गर्ष की तुलना में यह फिर भी कम है। कुछ राज्यों में चावल के मूल्यों में न तो कमी हुई है और नही वृद्धि। परन्तु चावल बाजार में उपलब्ध है। यदि आगामी कुछ महीनों में बाजार में चावल की कमी हुई तो चावल आयात करना पड़ेगा। मूल्यों को स्थिर रखने के लिए हम आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं और इसका प्रभाव अवश्य होगा परन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विकासशील अर्थव्यवस्था में मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी।

गरीबी दूर करने के लिए हमने आधार तैयार कर लिया है। यह कहना उचित नहीं है कि हमारी नीतियां सफल नहीं हुई है।

यह ठीक है कि सरकारी क्षेत्र में कुछ त्रुटियां हैं हम इनको बहुत शीघ्र दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के अनेक कारखाने लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि सरकारी क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण कारखाने घाटे में चल रहे हैं। परन्तु हम प्रतिवर्ष अधिक-से-अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। यह एक ऐसा हथियार है जिससे गरीबी का मुकाबला किया जा सकता है। इस प्रकार हमने कृषि में भी महत्वपूर्ण आधार बना लिया है। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में तकनीशीयनों का एक नया वर्ग तैयार कर लिया गया है। अतः अब हम गरीबी का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अर्थव्यवस्था का विकास करने हेतु हमें साधन जुटाने हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या इस समय आर्थिक विकास की ही है, हम चाहते हैं कि अर्थ-व्यवस्था का विकास इस प्रकार हो जिससे हम बेरोजगारी की समस्या को भी हल कर सकें। इसके लिए कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की जायेंगी और शिक्षित वर्ग के लिए रोज़गार के अधिक अवसर उत्पन्न करने होंगे। मैंने यह दावा नहीं किया कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमने जो 50 करोड़ रुपये रखे हैं उससे यह समस्या हल हो जायेगी। यह तो एक प्रकार का तर्जुबा किया ज़ा रहा है। एक प्रकार की पायलट योजना है। देश के विभिन्न भागों में जिनमें बहुत अधिक गरीबी है उनमें हम उत्पादिता ग्रामीण विकास कार्य शुरू कर रहे हैं। हमें आशा है कि हम इसमें सफल होंगे। इससे हमें बहुत अनुभव भी प्राप्त होगा। इन क्षेत्रों में विकास का आधार तैयार किया जाएगा और उसके लिए हमें कुछ शिक्षित लोगों की भी आवश्यकता होगी। जब कभी भी हम बेरोजगारी की समस्या का प्रश्न करते हैं तो हमारे समक्ष अशिक्षित बेरोजगारों का ही प्रश्न होता है। हम इन लोगों की समस्याओं को नहीं भूल सकते क्योंकि इन्हीं युवकों के कारण आज हम इतनी बड़ी संख्या में इस सभा में आए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने नया दृष्टिकोण अपनाया है। शिक्षा सम्बन्धी कुछ योजनाओं में रोजगार प्रधान योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। कुछ इन्जीनियरों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया गया है कि उनको तुरन्त रोजगार मिल जाएगा। यदि कुछ विशिष्ट सुझाव दिए जाते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे।

क्षेत्रीय असंतुलन के प्रश्न को भी उठाया गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गत दो तीन वर्षों में स्वयं प्रधान मंत्री ने इस मामले में गहरी रुचि ली है। योजना आयोग ने भी इस प्रश्न को हल करने का प्रयास किया है। प्रत्येक राज्य में कुछ जिलों को चुना गया है और पिछड़ा क्षेत्र जानकर उनके औद्योगीकरण का प्रयास किया जा रहा है। कुछ प्रोत्साहन भी दिये गए हैं। इसके लिए हमें राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करना होगा। जिन राज्यों को वित्त की आवश्यकता है उनके लिए विशेष प्रबन्ध किए गए हैं। लगभग 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। वास्तव में इससे अधिक व्यय हो गया है।

जो लोग पिछड़े क्षेत्रो में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनको वित्तीय संस्थाओं ने प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। अतः प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया है। परन्तु इसके साथ-साथ राज्य सरकारों को भी पिछड़े क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। अतः मुझे विश्वास है कि आगामी दस वर्षों में समन्वित तथा निरन्तर प्रयास से हम प्रादेशिक असंतुलन को दूर कर सकेंगे।

पिछले दो अथवा तीन वर्षों में छोटी सिंचाई योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। श्री सी० सी० देसाई ने नर्मदा परियोजना का उल्लेख किया है। वास्तव में हम नहीं चाहते थे कि इस मामले को न्यायाधीकरण को सौंपा जाए। अतः हमने इस मामले को सुलझाने के लिए निरन्तर दस वर्ष तक प्रयास किया। हम चाहते हैं कि यह झगड़ा यथा सम्भव शीघ्र हल हो जाए। जब तक सम्बन्धित राज्य आपस में कोई निर्णय न कर लें तब तक इस झगड़े को न्यायाधीकरण से वापस लेना आसान नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी सिंचाई परियोजनाएं कभी-कभी समस्याएं भी उत्पन्न कर देती हैं। अतः राज्य सरकारों, योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार ने मध्यम तथा विशेषकर छोटी सिंचाई योजनाओं पर अधिक जोर दिया है। लगभग सभी राज्यों में पम्पिंग सेट तथा नलकूप लगाने पर अत्यधिक राशि व्यय की गई है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि छोटी सिंचाई योजनाओं की उपेक्षा की गई है।

यद्यपि बजट में समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तथापि उसका तत्व उसमें उपस्थित है। हम चाहते तो इस शब्द को अनेक बार प्रयोग कर सकते थे परन्तु हमने समूचे क्षेत्र के बारे में कहा है अतः इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।

एक माननीय सदस्य ने कोचीन यार्ड का उल्लेख किया था। मेरे विचार में कार्यक्रम निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है। अब तक लगभग दो करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। कुछ प्रारम्भिक कार्य किया जा चुका है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस मामले का उल्लेख किया है। क्योंकि सम्बन्धित मंत्रालय अब इस कार्य में ढील नहीं आने देगा।

हमने लोगों को जो वचन दिए हैं हम उनको पूरा करेंगे। मैं समझता हूं कि समस्याएं जटिल है और उनको हल करना इतना आसान नहीं है। परन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भरसक प्रयत्न करेगी।

कपास निगम की स्थापना 1970 के मध्य में की गई थी। इसने कपास के आयात का कार्य आरम्भ कर दिया है। इसने कुछ गैर-सरकारी उद्योगों के लिए भी कपास खरीदना आरम्भ कर दिया है। जैसे-जैसे इसका अनुभव बढ़ेगा तैसे-तैसे इसका कार्यक्षेत्र भी बढ़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1971-72 के लिए बजट (सामान्य) सम्बंधी लेखानुदनों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुईं।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	एक—राजस्व से व्यय	रु०
	रक्षा मंत्रालय	
1.	रक्षा मंत्रालय	40,60,000
2.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय सेना	2,71,25,33,000
3.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय नौसेना	19,76,33,000
4.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय-वायु सेना	81,65,00,000
5.	रक्षा सेवाएं, निष्क्रय	15,76,67,000
	शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय	
6.	शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय	41,66,000
7.	शिक्षा	24,39,47,000
8.	पुरातत्व विज्ञान	70,62,000
9.	भारतीय सर्वेक्षण	2,08,84,000
10.	शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,62,15,000
	विदेश मंत्रालय	
11.	वैदेशिक मामले	9,38,08,000
12.	विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	7,33,72,000
	वित्त मंत्रालय	
13.	वित्त मंत्रालय	6,29,08,000
14.	सीमा-शुल्क	3,18,00,000
15.	संघ उत्पाद-शुल्क	6,36,30,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
16.	आय पर कर, जिनके अन्तर्गत निगम कर आदि भी हैं	6,68,70,000
17.	स्टाम्प	1,62,55,000
18.	सम्परीक्षा	10,60,00,000
19.	करेन्सी और सिक्के	5,53,40,000
20.	टकसाल	1,52,02,000
21.	कोलार स्वर्ण खान	2,71,89,000
22.	पेंशन तथा अन्य निवृत्ति प्रसुविधाएं	5,15,63,000
23.	अफीम के कारखाने और क्षार तत्व संकर्म	6,14,73,000
24.	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	16,17,44,000
25.	राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों को अनुदान	1,93,47,86,000
26.	केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के बीच प्रकीर्ण समायोजन	18,35,000
27.	विभाजन-पूर्व संदाय	18,000
	खाद्य, कृषि, सामूदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	
28.	खाद्य, कृषि, सामूदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	7018,000
29.	कृषि,	5,52,25,000
30.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को संदाय	6,27,33,000
31.	वन	67,06,000
32.	खाद्य, कृषि, सामूदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	15,59,12,000
	विदेश व्यापार मंत्रालय	
33.	विदेश व्यापार मंत्रालय	18,87,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
34.	विदेश व्यापार	32,74,15,000
35.	विदेश व्यापार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,56,53,000
	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय	
36.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय	27,09,000
37.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	9,04,03,000
38.	लोक संकर्म	15,19,69,000
39.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	5,28,72,000
40.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,09,90,000
	गृह मंत्रालय	
41.	गृह मंत्रालय	46,02,000
42.	मंत्रिमंडल	28,22,000
43.	कार्मिक विभाग	1,39,94,000
44.	न्याय प्रशासन	82,000
45.	पुलिस	25,48,52,000
46.	जनगणना	3,62,84,000
47.	सांख्यकीय	1,46,80,000
48.	भारतीय शासकों के प्रिवी पर्स और भत्ते	88,000
49.	प्रादेशिक और राजनीतिक पैंशन	9,43,000
50.	दिल्ली	19,82,26,000
51.	चण्डीगढ़	2,69,59,000
52.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3,69,47,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
53.	जनजाति क्षेत्र	9,38,18,000
54.	दादरा और नागर हवेली क्षेत्र	28,99,000
55.	लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह	60,75,000
56.	गृह मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	4,31,18,000
	औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्रालय	
57.	औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय	25,81,000
58.	उद्योग	1,95,96,000
59.	लवण	30,12,000
60.	औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	5,24,82,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
61.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	10,79,000
62.	प्रसारण	5,48,31,000
63.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,89,19,000
	सिंचाई और बिजली मंत्रालय	
64.	सिंचाई और बिजली मंत्रालय	15,38,000
65.	बहु-उद्देशीय नदी स्कीमें	1,12,40,000
66.	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,80,19,000
	श्रम नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय	
67.	श्रम नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय	31,21,000
68.	महानिदेशक खान सुरक्षा	20,94,000
69.	श्रम और नियोजन	8,50,87,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
70.	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	3,92,48,000
71.	श्रम नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,22,000
	विधि मंत्रालय	
72.	विधि मंत्रालय	34,17,000
73.	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	6,18,06,000
	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय	
74.	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय	21,24,000
75.	भू-विज्ञान सर्वेक्षण	5,16,00,000
76.	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	5,59,14,000
	पोत परिवहन और परिवहन मंत्रालय	
77.	पोत परिवहन और परिवहन मंत्रालय	52,96,000
78.	सड़कें	8,13,38,000
79.	वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा	2,52,69,000
80.	प्रकाश-स्तम्भ और प्रकाश पोत	46,77,000
81.	पोत परिवहन और परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,04,51,000
	इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय	
82.	इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय	9,14,000
83.	इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	24,41,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
	पूर्ति मंत्रालय	
		रु०
84.	पूर्ति मंत्रालय	39,46,000
85.	पूर्ति और निपटान	1,57,38,000
86.	पूर्ति मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	15,50,000
	पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय	
87.	पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय	8,65,000
88.	मौसम विज्ञान	1,72,55,000
89.	विमानन	5,96,06,000
90.	पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	97,35,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग	
91.	परमाणु ऊर्जा विभाग	12,00,000
92.	परमाणु ऊर्जा विभाग का अन्य राजस्व व्यय	17,85,70,000
	संचार विभाग	
93.	संचार विभाग	6,38,000
94.	समुद्र संचार सेवा	1,58,11,000
95.	डाक और तार (कार्यकरण व्यय)	96,06,76,000
96,	डाक और तार साधारण राजस्वों को लाभांश, आरक्षित निधियों को विनियोग और साधारण राजस्वों में से उधारों का प्रति संदाय	5,60,46,000
97.	संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय	15,57,000
	कम्पनी कार्य विभाग	
98.	कम्पनी कार्य विभाग	11,49,000
99.	कम्पनी कार्य विभाग का अन्य राजस्व व्यय	28,08,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
	इलेक्ट्रोनिक विभाग	
100.	इलेक्ट्रोनिक विभाग	43,94,000
	संसदीय कार्य विभाग	
101.	संसदीय कार्य विभाग	3,73,000
	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	
102.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	7,40,58,000
	समाज कल्याण विभाग	
103.	समाज कल्याण विभाग	8,05,000
104.	समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	1,94,39,000
	योजना आयोग	
105.	योजना आयोग	54,10,000
	संसद और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	
106.	लोक-सभा	92,62,000
107.	राज्य-सभा	37,82,000
108.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	1,15,000
	दो—पूंजी से व्यय और ऋणों और अग्रिमों का भुगतान	
	रक्षा मंत्रालय	
109.	रक्षा पूंजी लागत	54,42,67,000
110	रक्षा मंत्रालय की अन्य पूंजी लागत	1,53,33,000
	शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय	
111.	शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की पूंजी लागत	48,18,000
	वित्त मंत्रालय	
112.	भारत प्रतिभूति मुद्रणालय पर पूंजी लागत	21,03,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
113.	करेन्सी और सिक्कों पर पूंजी लागत	3,55,42,000
114.	टकशालों पर पूंजी लागत	9,61,000
115.	कोलार स्वर्ण खानों पर पूंजी लागत	45,55,000
116.	पेंशनों का सरांशीकृत मूल्य	3,83,73,000
117.	वित्त मंत्रालय की अन्य पूंजी लागत	2,23,97,000
118.	राज्य सरकारों को विकासार्थ अनुदानों पर पूंजी लागत	9,64,67,000
119.	केन्द्रीय सरकार द्वारा उधार और अधिदाय	2,63,71,04,000
	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय	
120.	खाद्यानों और उर्वरकों का क्रय	41,12,21,000
121.	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अन्य पूंजी लागत	20,87,95,000
	विदेश व्यापार मंत्रालय	
122.	विदेश व्यापार मंत्रालय की पूंजी लागत	1,62,93,000
	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय	
123.	लोक संक्रमों पर पूंजी लागत	3,51,67,000
124.	दिल्ली पूंजी लागत	2,23,34,000
125.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय की अन्य पूंजी लागत	7,73,01,000
	गृह मंत्रालय	
126.	संघ राज्य क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों में पूंजी लागत	8,59,76,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
127.	गृह मंत्रालय की अन्य पूंजी लागत	68,33,000
	औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्रालय	
128.	औद्योगिक विकास और आंतरिक विकास मंत्रालय की पूंजी लागत	2,03,70,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
129.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूंजी लागत	2,74,80,000
	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	
130.	बहुद्देशीय नदी स्कीमों पर पूंजी लागत	3,92,88,000
131.	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अन्य पूंजी लागत	7,50,07,000
	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय	
132.	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय की पूंजी लागत	2,52,53,000
	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय	
133.	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय की पूंजी लागत	27,02,71,000
	पोत परिवहन और परिवहन मंत्रालय	
134.	सड़कों पर पूंजी लागत	18,55,72,000
135.	पत्तनों पर पूंजी लागत	3,65,46,000
136.	पोत परिवहन और परिवहन मंत्रालय की अन्य पूंजी लागत	4,51,64,000
	इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय	
137.	इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय की पूंजी लागत	7,62,15,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रु०
	पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय	
138.	विमानन पर पूंजी लागत	4,45,76,000
139.	पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय की अन्य पूंजी लागत	4,52,27,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग	
140.	परमाणु ऊर्जा विभाग की पूंजी लागत	21,71,71,000
	संचार विभाग	
141.	डाकतार पर पूंजी लागत (जो राजस्व से पूरी नहीं की जाती)	29,35,00,000
142.	संचार विभाग की अन्य पूंजी लागत	61,27,000

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक
APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL

वित्तमंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 के एक भाग की सेवाओं के लिए, भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 के एक भाग की सेवाओं के लिए, भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वर्ष 1971-72 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि वर्ष 1971-72 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित विधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, 2, 3, और 4 अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक के नाम को विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, 2, 3, और 4, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक के नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clauses 1, 2, 3, and 4, the Schedule the Enacting formula and Title were added to the Bill.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

वित्त विधेयक
FINANCE BILL

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 के लिए कतिपय उपान्तरों सहित आय-कर की विद्यमान दरों को चालू रखने के लिए और सीमा-शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क के विशेष और नियामक शुल्कों को और टैरिफ और व्यापार के साधारण करार के अधीन कतिपय प्रतिबद्धताओं

को चालू रखने के लिए उपबन्ध करने के लिए और उक्त वर्ष के लिए नमक शुल्क को चालू न रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक के उद्देश्यों सम्बन्धी विवरण से पता चलेगा कि आय-कर के सम्बन्ध से बहुत साधारण संशोधन किए गए हैं जो आनुषंगिक किस्म के हैं क्योंकि वर्ष 1970-71 के उपबन्ध जारी रहेंगे और आय-कर अधिनियम में किए गए कुछ संशोधन इस विधेयक में सम्मिलित किए गए हैं। अप्रत्यक्ष कर वही है जो पिछले वर्ष थे। अतः मैं इस विधेयक को सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : वित्त विधेयक से सरकार की आर्थिक नीति का आभास मिलता है। वित्त मंत्री का दावा है कि नया बजट समाजवाद की दिशा में एक नया कदम है। परन्तु वास्तव में यदि इस बजट का विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि यह शतप्रतिशत पूंजीवादी बजट है। इस में समाजवाद का कोई स्थान नहीं है। आजकल बड़े-बड़े एकाधिकारवादी अपने आपको समाजवादी कहते हैं। आज पूंजीवाद समाजवाद का आवरण पहने हुए हैं।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

अतः वित्त मंत्री का समाजवाद भी भारत में पूंजीवाद के संरक्षण और विकास के लिए आवरण का काम कर रहा है। समाजवाद को अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर मान्यता मिल रही है और समस्त विश्व पूंजीवाद के चंगुल से निकल रहा है। परन्तु मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। बजट सम्बन्धी भाषण में कहा गया है कि गत 20 वर्षों में आर्थिक प्रगति के बावजूद गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। क्या आर्थिक प्रगति का यही परिणाम निकला हैं ? आगामी वर्ष में भी आर्थिक प्रगति का वही परिणाम निकलेगा जो गत 20 वर्षों में हुई प्रगति का परिणाम निकला है क्योंकि शासक वर्ग उन्हीं नीतियों का पालन कर रहा है जो उसे ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने बताई थीं। ब्रिटेन और अमरीका के साम्राज्यवाद के मेल से भारतीय पूंजीवाद का विकास हो रहा है। अतः बेरोजगारी में वृद्धि अवश्यम्भावी है।

समाजवाद का अर्थ है उत्पादन और वितरण पर समाजिक स्वामित्व। इसका अर्थ पूंजीवाद का अन्त है। कांग्रेस के नेता जनता के सामने 'गरीबी हटाओ' का नारा लगा रहे हैं। परन्तु उन्होंने गत 24 वर्षों में क्या किया है। इस अवधि में गरीबी और विषमता में वृद्धि हुई है।

एक ओर धन कुछ व्यक्तियों के पास इकट्ठा हो रहा है दूसरी ओर गरीबी बढ़ती जा रही है। इस आर्थिक ध्रुवीकरण का प्रभाव राजनीतिक ध्रुवीकरण पर अवश्य पड़ेगा। जब श्रमिक वर्ग इस पद्धति के स्वरूप को और इस प्रकार के शोषण को समझेगा तो वह संगठित हो कर संघर्ष आरम्भ कर देगा। वे पहले हड़ताल और प्रदर्शन के माध्यम से आवाज उठाते हैं और फिर क्रांति का मार्ग अपनाते हैं। इसी लिए इस सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक विचार करने और मूल आर्थिक नीति में

परिवर्तन लाने की आवश्यकता हैं। परन्तु शासक दल ने एक ओर तो टाटा, बिड़ला तथा अन्य बड़े बड़े व्यापारियों को एकाधिकारवादी बना दिया है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि लाखों लोग भूखे मर रहे हैं और जिन्हें नौकरी से अलग किया जा रहा है। यह सरकार इस देश में समाजवाद नहीं ला सकती। इस शब्द का प्रयोग जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। इस बजट में उल्लिखित है कि नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं है। गत 20 वर्षों के निरन्तर आर्थिक विकास का परिणाम बड़े पैमाने पर गरीबी और बेरोजगारी है परन्तु फिर भी सरकार उसी नीति का अनुसरण कर रही है। जबतक मूलपरिवर्तन नहीं किये जाते और सामन्तशाही को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता और गरीब तथा मध्यवर्ग के किसानों को भूमि नहीं दी जाती तबतक भारत के खाद्य संकट से मुक्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अनाज के व्यापार पर एकाधिकार का नियंत्रण इतना कठोर है कि सरकार भी अपने आप को निःसहाय महसूस करती है जब मूल्य में वृद्धि होती है तो सरकार कहती है कि वह कुछ नहीं कर सकती। मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई हैं।

आज सामन्तवादी भू-स्वामी जोतदार और बड़े-बड़ें जमीनदार छोटे-छोटे किसानों को अपनी भूमि से बेदखल कर रहे हैं जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। दूसरी ओर जमाकर्ताओं के पास उत्पादन जमा हो रहा है। क्योंकि सरकारी विभागों के साथ उनकी सांठगांठ है। इन बड़े-बड़े अधिकारवादियों ने ही रुई तथा अन्य कच्चे माल की बनावटी कमी पैदा की है। यह कांग्रेस सरकार उनको प्रोत्साहित करती है क्योंकि वे स्वयं उन्हीं वर्गों के प्रतिनिधि है और अब प्रशासक बने हुए हैं। आज प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सारा समाज इस रोग से पीड़ित है। इसका एक मात्र कारण कांग्रेस की वह नीति है जो शोषण पर आधारित है।

श्रमिकों की संख्या इस आधार पर कम की जाती है कि कारखानों के मालिक उत्पादन की लागत कम करना चाहते हैं परन्तु सच्चाई यह है कि एकाधिकारवादी अपने लाभ को कम नहीं करना चाहते और इसका प्रभाव श्रमिकों पर पड़ता है। इतना ही नही, कारखानों को इस लिए बन्द किया जा रहा है कि पर्याप्त लाभ नहीं होता है। जिस समाज में लाभ का इतना ध्यान रखा जाए वहां आम जनता, श्रमिकों, बेरोजगार व्यक्तियों और गरीबों का आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। इस देश में बिड़ला बन्धुओं, टाटा बन्धुओं तथा अन्य बड़े-बड़े व्यापार गृहों को अपने कारखाने बन्द करने का मूल भूत अधिकार है। जिससे हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। हम कारखानों के राष्ट्रीयकरण की मांग करते हैं क्योंकि कारखानों के मालिकों को क्षतिपूर्ति देने की संविधान में व्यवस्था है परन्तु बेरोजगार श्रमिकों अथवा किसानों के संरक्षण के लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें पूंजीवाद और निहित स्वार्थों को संरक्षण प्राप्त है।

विश्व में जहां कहीं संसदीय लोकतंत्र है वहां पूंजीवाद का विकास हुआ है। अतः गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सर्वप्रथम किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को उनकी भूमि दी जानी चाहिए। सामन्तशाही बिल्कुल समाप्त कर दी जानी चाहिए। सभी विदेशी उद्योगों, बैंकों, खानों आदि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। यदि एकाधिकारवादी ग्रुप जनता का शोषण

करते रहे तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती। अतः गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है। दूसरी चीज प्रभावशाली लोकतंत्रीय नियंत्रण है। वित्त मंत्री ने बताया है कि सरकारी क्षेत्र का काम संतोषजनक नहीं है। इसका कारण यह कि सारा प्रबन्ध दफतरशाहों के हाथ में है यदि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को ठीक तरह से चलाना है तो वहां लोकतंत्रीय ढंग का नियंत्रण रखना होगा। कर्मचारियों को भी प्रबन्ध में सम्मिलित करना होगा। श्रमिकों की मजूरी में काफी सुधार करना होगा जिससे वे महसूस करें कि उन उपक्रमों और उद्योगों के कार्यकरण में उनका भी सहयोग है।

कृषि श्रमिकों, कारीगरों तथा ग्रामीण जनता के अन्य वर्ग की मजूरी को बढ़ाने के लिए और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए जोरदार प्रयत्न किये जाने चाहिये। इस कार्य के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की जानी चाहिये। केवल 50 करोड़ रुपये की राशि नियत कर देने से बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी।

वसूली और मूल्य निर्धारित करने की नीतियों पर इस ढंग से विचार करना होगा कि गरीबों और मध्य दर्जे के किसानों और उपभोक्ता वर्ग को भी लाभ हो।

कराधान की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कर लगाते समय इस बात की ओर ध्यान रखना चाहिये कि करों का भार धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़े और गरीबों को पर्याप्त राहत मिले परन्तु इतना कुछ करने के लिए संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक है।

केन्द्रीय करों का मुख्य भाग राज्यों को दिया जाना चाहिए क्योंकि राज्यों पर बेरोजगारी और गरीबी की समस्या हल करने का बोझ है। राज्यों को अधिक शक्ति देना बहुत आवश्यक है अन्यथा अर्थव्यस्था में उचित सुधार नहीं हो सकता।

संसाधनों के सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव है। मेरे विचार से सरकार को चीन तथा अन्य पड़ोसी देश के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार करना चाहिये और प्रतिरक्षा पर व्यय कम करना चाहिये। प्रतिरक्षा व्यय का हमारी अर्थ व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव रहा है। चीन सामाजिक देश है। और उसकी किसी देश का क्षेत्र छीनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रोफ० कलडोर की रिपोर्ट के अनुसार 4000 करोड़ रुपये का काला धन है। इस धन को प्राप्त करने के लिए सरकार को हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये। इससे हमारे संसाधन बढ़ेंगे।

एकाधिकार उपक्रमों के पास आरक्षित निधि की बहुत बड़ी राशि है। सरकार को इस निधि को अपने नियंत्रण में लेकर अपने संसाधनों का विकास करना चाहिये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr Speaker in the Chair]

एक अन्य सुझाव यह है कि सरकार को विदेशी ऋणों का भुगतान कुछ वर्षो के लिए स्थगित

कर देना चाहिये । हमारा विदेशी ऋण 7000 करोड़ रुपये हो गया है और 450 करोड़ रुपये का प्रति वर्ष भुगतान करना पड़ता है । इन ऋणों का भुगतान करने के लिए और ऋण लेने पड़ते है । अत: कुछ वर्षों के लिए यह भुगतान स्थगित कर देना चाहिए ।

बड़े एकाधिकारवादियों पर अत्यधिक कर लगाए जाने चाहिए । समाजवाद कहने मात्र से समाजवाद नहीं आएगा । समाजवाद केवल श्रमिकों के नेतृत्व में आ सकता है और ऐसा दिन अवश्य आएगा ।

Shri S. M. Banerji (Kanpur) : In his budget speech Shri Chavan made a reference to the youth of the country. In the budget I think the picture of removing unemployment is very dim. At present about 84, 000 engineers are unemployed. For them the degrees of the University are useless. They want either a violent revolution in this society or to die for these compelling situations. We should stop our wasteful expenditure. By saving money from all these extravagance we should give unemployment allowance to the youth. Useless and uneconomic schemes should be stopped and the money saved should be diverted to the unemployed persons as unemployment allowance. If it is not done they will come to violance.

The President in his address had announced that privy purses will be abolished. But can they do that without amending the constitution. In India who is Supreme : Lok Sabha Or Supreme Court. Certainly the body of the elected representatives of the masses is supreme. Therefore, we should amend the constitution. No compensation should be given to the princes. Now there is no binding for them.

Government promised to nationalise import trade, but now they are thinking to control it. But I would like that it should be nationalised. Government has nationalised foreign oil cartels. It is a right step towards socialism.

Income tax arrears should be recovered without any delay. According to the economists a big amount of black money is in India. It should be brought into light by demonetising the hundred rupee note.

To run the industries smoothly participation of labour in management is essential. I Congratulate the Government for giving representation to bank employees. If it is done in public sector undertakings also, I assure there will be no strike.

There are regional imbalances in the country. I do not want to say much on this because the condition of all the states are bad. But what I want to say is that now the Government should try to improve the condition of the poor. They should be provided with the minimum of food, clothing his and shelter.

One thing I would like to say about the next budget. The Government should keep this in its mind that no burden will be put on the poorer sections as they are not in a position to pay anything more. We are duty bound to abolish poverty and for that all of us are with Government.

श्री वाई० बी चव्हाण : आय कर की बकाया राशि के बारे में प्रश्न उठाया गया है । इस पर मैंने स्वयं विचार किया है । पर कुछ मामले ऐसे हैं जहां वसूली करना नितांत असम्भव है और उन्हें वसूल नहीं किया जा सकता । मैं इस प्रश्न पर फिर से विचार करूंगा और जहां सम्भव होगा हर सम्भव कड़ा कदम उठाया जाएगा ।

बेकारी और गरीबी दो मुख्य प्रश्न हमारे सामने हैं । उनके लिए हमें विशिष्ट हल खोजने होंगे । इसके लिए ठोस कार्यक्रम बनाना पड़ेगा । हमने इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है और यह दृढ़ निश्चय के साथ चालू रहेगा ।

मैं माननीय सदस्य के इस समस्या के समाधान से सहमत नहीं हूं । अब ज़माना बदल चुका है । राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियां बदल गई हैं, यहां तक कि सामाजिक परिस्थितियां भी भिन्न हैं । हमने जिस आधार पर मत लिए हैं वह बिल्कुल साफ है और उसे समझने के लिए आपको भारतीय इतिहास का अध्ययन करना चाहिए न कि चीन का । गरीबी की समस्या भारत के लिए नई नहीं है । वरन् यह सदियों पुरानी है । हम निश्चय ही उसे दूर करने में सफल होंगे । इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है । मैं मानता हूं कि समस्या गम्भीर हैं पर असाध्य नहीं ।

जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है मैं इसे सदन द्वारा स्वीकृत किए जाने की सिफारिश करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री का भाषण बहुत ही संक्षिप्त रहा और यह समय से पहले समाप्त हो गया ।

प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष, 1971-72 के लिए कतिपय उपान्तरों सहित आय-कर की विद्यमान दरों को चालू रखने के लिए और सीमा शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क के विशेष और नियामक शुल्कों को और टैरिफ और व्यापार के साधारण करार के अधीन कतिपय प्रतिवद्धताओं को चालू रखने के लिए उपबन्ध करने के लिए और उक्त वर्ष के लिए नमक शुल्क को चालू न रखने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे । कुछ सदस्य बोलने के बड़े उत्सुक हैं, ऐसा वे तृतीय वाचन के समय कर सकते हैं ।

खण्डों के लिए कोई संशोधन नहीं है । अतः मैं उन्हें एक साथ रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting formula and Title were added to the Bill.

श्री वाई० बी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

श्री शुक्ल क्या आप बोलना चाहते हैं ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : हमने 5.45 समय वित्त विधेयक के लिए निश्चित किया है । यदि सभा चाहेगी तो हम इसे पहले भी कर सकते हैं ।

डा मेलकोटे (हैदरावाद) मैंने वित्त मंत्री के भाषण को बड़े ध्यान से सुना है । निस्संदेह लेखानुदान बजट में किसी भी सरकार को व्यौरे में जाना कठिन होता है पर उससे कुछ आभास अवश्य होना चाहिये । पर इस बजट में ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ कि सरकार अपनी घोषित नीति को पूरा करना चाहती है ।

बजट पेश होने के समय इंडियन एयर कारपोरेशन में ताला बंदी हुई थी, जो कि कर्मचारियों को सरकार की पहली देन थी ।

मैं तीन बातें रखना चाहता हूं। भत्ते, कितने, कब से मिले और काम के घण्टे क्या हों ? इन तीन बातों को तय करने के लिए समय चाहिये। अतः इस समय कोई अन्तरिम व्यवस्था कर ली जानी चाहिये थी। कर्मचारियों को भी अपनी बात कहने का कुछ समय दिया जाना चाहिये। ज़ोर जबरदस्ती से सरकार को उनसे कुछ मनवाना नहीं चाहिये। यह मामला केवल इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का ही नहीं है अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। आशा है मेरी बात सरकार ने समझी होगी और वह सब बातों पर अलग-अलग विचार करेगी।

गरीबी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है पर कहने मात्र से गरीबी दूर नहीं हो सकती। शिक्षा, नौकरी तथा गरीबी एक दूसरे से सीधे सम्बन्धित हैं और सभी एजेन्सियों को इसमें मदद करनी होगी। मात्र नारेबाजी से कुछ होने वाला नहीं है।

1952 के बाद इस बार पुनः सरकार को दो तिहाई बहुमत मिला है। अब उसे चाहिये कि जो नारा उसने चुनाव के समय दिया था उसे पूरा करे। इसके लिए हमें ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिये जिनमें बड़ी संख्या में लोगों को काम मिल सकता है।

हमें सबसे पहले शिक्षित बेकारों की समस्या को हल करना है। इसके लिए शिक्षा का नवीकरण किया जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री अपने अगले बजट में इन बातों पर ब्यौरे वार विचार करेंगे।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : वित्त विधेयक तथा बजट के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने से पूर्व मैं वित्त मंत्री को एक निर्भीक, मौलिक तथा यथार्थ बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

बजट का मुख्य उद्देश्य देश से गरीबी तथा बेकारी को दूर करना है। हमारे मार्क्सवादी मित्रों को बजट की नीतियों के विषय में संदेह है। उनके कथनानुसार गरीबी तथा बेकारी का उन्मूलन चीन के समान नीति अपनाने पर ही संभव है, हो सकता है उनके तर्क उनकी विचारधारा की पुष्टि करते हो किन्तु हमें जो बहुमत प्राप्त हुआ है वह उनकी विचारधारा के बल पर नहीं अपितु अपनी विचारधारा के आधार पर प्राप्त हुआ है और हमारी आस्था प्रजातांत्रिक समाजवाद में है।

स्वतंत्र दल ने बजट की आलोचना अपने ढंग से की है। उनका कहना है यह बजट समाजवादी है और मेरे साम्यवादी मित्र इसे पूंजीवादी बताते हैं वस्तुतः यह न तो पूंजीवादी है। और न ही समाजवादी अपितु इसका निर्माण प्रजातांत्रिक समाजवाद लाने के लिए किया गया है।

यह कोई मार्क्सवादी बजट भी नहीं और यदि यह मार्क्सवादी होता तो इसकी आलोचना करने का किसी को अवसर ही नहीं मिलता। चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति में क्या हुआ ? वहां के समाचार-

पत्रों तक को स्वतंत्र राय प्रकट करने का अधिकार नहीं किन्तु अब यह रूढ़िवादी साम्यवाद पुराना पड़ गया है और इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। मेरे साम्यवादी मित्र रूस की नीतियों को अपनाने के लिए तैयार नहीं क्योंकि वहां साम्यवाद को उतने कट्टर रूप में नहीं अपनाया जाता जितना कि चीन में। रूस तथा आस्ट्रिया सुधारवादी है। वह समाजवाद को सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के आधार पर लाना चाहते हैं। हम भी देश में स्वतंत्रता की धारणा को सामाजिक न्याय के साथ जीबित रखना चाहते हैं। यही महात्मा गांधी का सिद्धान्त था जिसे श्री नेहरू ने एक ठोस रूप दिया। आज हमारा उद्देश्य भी देश से गरीबी, दरिद्रता तथा अज्ञान को दूर कर सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। इसके लिए हमें वस्तुस्थिति को यथार्थ के धरातल पर परखना होगा।

गरीबी तथा दरिद्रता का उन्मूलन करना इतना सरल नहीं। इसके मार्ग में कई अड़चनें हैं। कुछ अड़चनें तो नगण्य हैं किन्तु कुछ अवश्य ही कठिन हैं जिनको दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे। देश में पूंजी का केन्द्रीयकरण कुछ एक लोगों के हाथ में है। हमें इस एकाधिकार को समाप्त करना है। एकाधिकार विकास के मार्ग में बाधक होता है चाहे यह एकाधिकार सम्पत्ति के रूप में हो अथवा राजनीतिक शक्ति के रूप में, हमें इसे समाप्त करना है। एकाधिकार की स्थिति में प्रतिस्पर्धा संभव नहीं और प्रतिस्पर्धा के अभाव में निजी उत्पादकों को अधिक उत्पादन की प्रेरणा नहीं मिल पाती। फलस्वरूप आर्थिक विकास की गति मन्द पड़ जाती है अतः समुचित आर्थिक विकास के लिए प्रतिस्पर्धा का होना अत्यावश्यक है।

अतः हमारा मुख्य ध्येय इस आर्थिक एकाधिकार को भंग करना है। दूसरे राज्य द्वारा उत्पादक साधनों का वितरण इस प्रकार किया जाए कि जो भी व्यक्ति जिस कार्य व्यापार में जाना चाहे उसके लिए उसे पूर्ण अवसर दिया जाए। जहां तक राज्यों द्वारा अन्य साधनों के वितरण का प्रश्न है हमने कई राज्यों में जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। कुछ सदस्यों का कहना है कि जोत आकार को कुछ और कम कर दिया जाए किन्तु मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता। यदि ऐसा किया गया तो किसानों में अधिक उत्पादन का उत्साह नहीं रहेगा। कुछ किसानों ने जोतों के आकार अनुरुप ट्रेक्टर खरीदे हैं तथा अपनी कृषि सम्बन्धी दशाओं में सुधार हेतु पूंजी भी लगाई है। यदि ऐसी अवस्था में जोत का आकार कम कर दिया जाएगा तो उनके विश्वास को धक्का पहुंचेगा। वैधानिक कार्यवाही के प्रति उनकी आस्था उठ जाएगी। अतः उन्हें आश्वासन दिया जाना चाहिए कि विधायकों द्वारा समाज के एक वर्ग को प्रसन्न करने हेतु उन्हें खिलौना नहीं बनाया जाएगा, उनके हितों को नहीं कुचला जाएगा। एक दल का कहना है कि जोत की अधिकतम सीमा $6\frac{1}{2}$ एकड़ होनी चाहिए जबकि साम्यवादी दल इसे केवल 3 एकड़ तक सीमित रखने के पक्ष में है और कांग्रेस दल इसे कम से कम 60 बीघा अथवा 12 एकड़ करना चाहता है। निस्संदेह विधान गतिशील होना चाहिए किन्तु इतना भी गतिशील नहीं कि उसमें लोगों का विश्वास ही न रहे। मेरे विचार में दोष जोत की सीमा निर्धारण में नहीं अपितु इस नीति के क्रियान्वयन में है। कई अधिकारी तथा विधान सभाओं के सदस्य इस सीमा निर्धारण की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एकमत हैं क्योंकि उनके पास निर्धारित सीमा से कहीं अधिक बड़ी भूमि है। ऐसी अवस्था में उन्होंने अपनी सन्तान को भूमिहीन दिखाकर उनके नाम पर पट्टे ले लिए हैं। जब तक ऐसे अधिकारियों पर रोक नहीं लगती और हम में देश भक्ति की भावना नहीं उत्पन्न होती तब तक समाजवादी नीतियों को लागू करना संभव नहीं।

दूसरी बात यह है कि गरीबी मिटाने हेतू आवश्यक तथा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। अभी तक विकास की दिशा यक तरफा रही है । जिन लोगों की पहुंच सरकार तक है उनकी बात सुन ली जाती है और उन्हें बड़ी मात्रा में संसाधन प्राप्त हो जाते हैं, किन्तु ऐसे क्षेत्र जहां के लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते वह इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए मेरे क्षेत्र बहराइच को लीजिए यह नेपाल की सीमा के निकट है और आर्थिक दृष्टि से अपने पड़ौसी राज्य की भांति पिछड़ा हुआ है । इस क्षेत्र में एक भी सरकारी उद्योग नहीं केवल एक चीनी की मिल है और वह भी घाटे में चल रही है, हालांकि हमारे यहां प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं, भूमि काफी उपजाऊ है पानी की भी कमी नहीं और चारों ओर हरे भरे वन हैं किन्तु इन साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता । इस क्षेत्र में आसानी से एक कागज की मिल खोली जा सकती है। दुर्भाग्यवश पिछली बार राजनीतिक दबाव के कारण ऐसी मिल हमारे राज्य में न बनाकर निकट पड़ौसी राज्य में खोली गई मुझे इस बात का न तो दुख है और न ईर्ष्या किन्तु मैं चाहता हूं कि प्रत्येक में कम से कम ऐसे एक दो बड़े उद्योगों का होना अत्यावश्यक है और यदि सरकारी क्षेत्र में हों तो और भी बेहतर है किन्तु विकास की इन प्रारम्भिक अवस्थाओं में निजी उद्योगों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

तीसरी बात यह है कि अभी भी एक विशाल क्षेत्र सिचाई विहीन पड़ा है। प्रथम तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ ट्यूबवैल बनाए गए किन्तु मेरे क्षेत्र की तीन चौथाई भूमि में अभी तक कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं।

सरजू नहर योजना 1960 में प्रारम्भ की गई और काफी जांच के बाद इसे लखीमपुर की ओर बदल दिया गया। नहर का हैडबक्स मेरे क्षेत्र में बनाया गया है तथा वह दरिया जिससे नहर को पानी मिलेगा वह भी मेरे क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत है किन्तु नहर का जल हमें प्राप्त न होकर अन्य पड़ौसी राज्यों को मिलेगा और हमारा क्षेत्र फिर नहर के बिना रहेगा। आप चाहते हैं कि बहराइच समृद्ध हो किन्तु इन दशाओं में बहराइच फल-फूल नहीं सकता। यदि मैं कुछ चीजों की मांग करता हूं तो इसका यह अर्थ नहीं कि मैं प्रादेशिक भावना से ग्रस्त हूं। मेरी इन मांगों से निर्धनता कम होगी और निर्धनता भी न्याय की भांति अविभाज्य है। यदि मैं निर्धन हूं तो आपकी सम्पत्ति भी सुरक्षित नहीं रह सकती।

एक अन्य बात जिस पर अभी तक किसी ने बल नहीं दिया वह यह है कि परिवार नियोजन के प्रचार में और भी तेजी लाई जाए अन्यथा आर्थिक विकास का कोई लाभ नहीं होगा ।

बजट प्रस्तावों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं श्री बनर्जी को धन्यवाद देता हूं । उनके द्वारा बताई गई कमियों को ध्यान में रखते हुए हम भारत में स्वतंत्रता के आधार पर समाजवाद लाने का यत्न करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह विधेयक जनता को भुलावे में डालने का एक प्रपंच मात्र है!

मै यह जानना चाहता हूं कि आपने रुपये का अवमूल्यन कैसे कर दिया, इस अवमूल्यन से

भारतीय जनता को अत्यधिक क्षति पहुंची है। आज यह रुपया अपने प्रत्यक्ष मूल्य का 10 प्रतिशत भी नहीं रह गया और अब फिर आप पर इसके पुनः अवमुल्यन के लिए बाहर से दबाव डाला जा रहा है और आप एक बार फिर उस जाल में फंसने जा रहे है ।

रुपये के अवमूल्यन के लिए आप केवल श्री मोरारजी तथा श्री अशोक मेहता को ही उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते । निश्चय ही प्रधान मंत्री का भी इसमें हाथ है। वह भी उतने ही दोष की अधिकारी हैं जितने की ये लोग ।

अब मैं एकाधिकारिता को लेता हूं । देश में देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के एकाधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है । आज कांग्रेस के 23 वर्षों के शासन के बाद आपको समाजवाद का ध्यान आया है । आज भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का औसत व्यय 36 पैसे से अधिक नहीं है । आपके लिए यह बहुत शरम की बात है ।

एकाधिकारियों की बढ़ती हुई संख्या देखें तो पता लगेगा कि दवा के क्षेत्र में ही बाजार में 90% से अधिक विदेशी पेटेन्ट विद्यमान हैं जबकि अमरीका में ऐसे पेटेन्टों की संख्या केवल 13% है। एक दवा जो आपको योरूप में 250 रु० प्रतिकिलो मिल सकती है उसे आप 11,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं। एक दवाई जिसे बनाने में केवल 4 आने खर्चा आता है उसके लिए गरीब आदमी को 10.50 रुपये देने पड़ते है और फिर भी आप समाजवाद का ढंढोरा पीटते फिर रहे हैं।

जरा कीमत तथा लाभ के अन्तर को भी देखिए। अगस्त के महीने में आपने दवा की कीमतों पर कंट्रोल लगा कर एकाधिकारियों को 18 दिन में 8 करोड़ रुपये का लाभ उठाने का अवसर दिया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने आपको आपके चुनाव आन्दोलन के लिए मोटी राशि दी ताकि आप ऐसे समाजवाद की स्थापना करने में सफल हो सके ।

चीनी को ही लीजिए । एक किलो चीनी के उत्पादन में 10 आने का खर्चा आता है और एकाधिकारियों को आपने उसे 2 रुपये प्रतिकिलो के भाव पर वेचने का अधिकार दे रखा है। पिछले एक वर्ष में तो उपभोक्ताओं को यही चीनी 5 या 6 रुपये प्रतिकिलो के भाव तक खरीदनी पड़ी। आप एकाधिकारियों के धन द्वारा देश में समाजवाद लाना चाहते हैं ऐसा भुलावा आप देश की केवल भोली-भाली जनता को दे सकते है सबको नहीं।

विदेशी ऋण की ओर दृष्टिपात करें तो पता लगेगा कि निर्यात द्वारा अर्जित होने वाली कुल मुद्रा का 45% तो ऋणों की किश्तों तथा ब्याज के रूप में अदा कर दिया जाता है और वह दिन भी दूर नहीं जबकि यह राशि बढ़ कर शत प्रतिशत हो जाएगी। समाजवाद के समर्थक श्री चव्हाण इसे ध्यान से सुन लें ।

देश में निरन्तर बढ़ती हुई एकाधिकारिता चौंका देने वाली है। 'इम्मीरियल टोबेको कम्पनी' (जिसने अपना नाम बदल कर 'भारतीय टोबेको कम्पनी' रख लिया है हालांकि यह भी उतनी ही भारतीय है जितना कि आज की कांग्रेस का समाजवाद) के पास 18 अरब सिग्रेट प्रति वर्ष बनाने का लाइसेंस है और वह 25-30 अरब सिग्रेटों का प्रतिवर्ष उत्पादन करती है फिर भी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। आप कर भी कैसे सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपकी चुनाव निधि में महत्वपूर्ण अंशदान जो दिया है।

इण्डिया किंग ब्रांड की सिग्रेट का एक पैकट (20 सिग्रेटों वाला) 3.70 पैसों में आता है एक सिग्रेट लगभग 18 पैसे की पड़ती है जिसमें से 9 पैसे उत्पादन शुल्क के रूप में ले लिए जाते है। बाकी एक पैसे से भी कम प्रति सिग्रेट किसान को तम्बाकू के लिए दिया जाता है और बकाया आपके ब्रिटेन के समाजवादी मित्रों को मिलता है। इस कम्पनी ने एक वित्तीय वर्ष में इस देश से 170 करोड़ रुपया कमाया जिसमें से उसे 50 करोड़ रुपए का कुल लाभ हुआ। समाजवाद के समर्थक श्री चव्हाण इस बात को नोट कर ले।

बंगाल में हमने जूट के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति की थी। बेचारा किसान जो सैकड़ों वर्षो से आपको अपना मांस काट काट कर दे रहा है उसे अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई के बदले में क्या मिलता है यह ध्यान देने योग्य है। 60 रुपये के मूल्य के पटसन का उसे केवल 35 या 45 रुपए मिलते हैं जबकि विदेशी मण्डी में उसी पटसन का मूल्य 200 रुपए के लगभग हैं। इसी बात की जांच के लिए पटसन जांच आयोग की नियुक्ति की गई थी किन्तु समाजवाद की मुख्य नेत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस आयोग को, मारवाड़ी जूट व्यापारियों का इस धमकी के कारण, कि वह उन्हें कांग्रेस के चुनाव के लिए धन नहीं देंगे, समाप्त कर दिया।

विमुद्रीकरण के सम्बन्ध में क्या हुआ। हम चाहते हैं कि आप विमुद्रीकरण करें किन्तु आप नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते तो आपके पास चुनाव के लिए बैलेट पेपर खरीदने के लिए 50-60 करोड़ रुपया कहां से आता क्योंकि कोई भी ईमानदारी से कमाए हुए धन को देने को तैयार न होता, आप सच्चे अर्थो में समाजवादी हैं!

आपका प्रतिरक्षा पर किया जाने वाला व्यय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यह 500 करोड़ से बढ़कर पहले 900 करोड़ हुआ फिर 900 करोड़ से 1000 करोड़ और 1000 करोड़ से फिर बढ़कर 1,165 करोड़ रुपया हो गया। इस वर्ष इसके और भी बढ़ने की संभावना है। निश्चय ही आप पुलिस और सेना के बल पर समाजवाद लाना चाहते हैं। मैं अब आपके सामने बेकारी के आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। चौथी योजना के अन्त तक यह संख्या 780 लाख थी। यह बेकारी आपकी अपनी बनाई हुई है आप इसे समाप्त करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते और यदि आप इसे दूर करने में सफल भी हो गए तो लोग आपको सत्ता से बाहर निकाल फेंकेंगे। हमने उद्योगवार आंकड़ो का आकलन किया है। प्रत्येक मुख्य उद्योग पटसन, चाय, तेल, इन्जिनिय-

रिंग, सूती वस्त्र, कोयला इत्यादि सभी में उत्पादन तथा आय बढ़ी है किन्तु रोजगार का स्तर और भी नीचे गिर गया है। इस सम्बन्ध में हमने अगस्त 1970 को एक प्रस्ताव सभापटल पर रखा था जब कि इसे अन्तिम रूप वस्तुतः नवम्बर, 1969 में ही दे दिया गया था। सरकार ने इस बात का आश्वा- दिया था कि वह इसके लिए एक समिति बनाएगी। सरकार बेकारी की समस्या के प्रति कितनी गम्भीर है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल इस समिति के गठन में ही 13 महीने लग गए और जिसके लिए प्रधान मन्त्री को मैंने कम से कम 13 अनुस्मारक पत्र भेजे। सभा- भवन में दिए जाने वाले आश्वासनों का कोई क्या भरोसा कर सकता है।

जहां तक छोटी सिंचाई योजनाओं और ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रश्न है मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है विशेषकर उन पिछड़े क्षेत्रों जैसे आसाम, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल इत्यादि के लिए क्या किया जाएगा जहां ग्रामीण विद्युती- करण तथा छोटी सिंचाई के साधनों की अत्यधिक कमी है।

अन्त में मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने रेलवे के लिए क्या किया है। सरकारी क्षेत्र की यह सबसे बड़ी संस्था है जिसमें 4000 करोड़ रुपये से अधिक सम्पत्ति लगी हुई है। आपने विदेशी तथा भारतीय एकाधिकारियों के दबाव में आकर रेलवे में अधिक पूंजी लगा दी है और वर्तमान परिस्थिति में आपको इस अतिरिक्त विनियोग से कुछ लाभ होगा इसकी आशा आप छोड़ दें। रेलवे के एक भूतपूर्व मंत्री श्री पाटिल ने अमरीकी डीजल इन्जन निर्माताओं के प्रभाव में आकर डीजल इन्जन लग- वाए परिणाम स्वरूप इससे अर्थ व्यवस्था को भारी क्षति पहुंची, और आप इस कमी को या तो टिकटों की दरों में वृद्धि करके या अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर पूरा कर लेंगे क्योंकि इसके सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं। इस कांग्रेस सरकार ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिये पिछले 23 वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था को बुरी तरह तबाह किया है तथा उसके भविष्य को खतरे में डाल दिया है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैंने कुछ विषयों के सम्बन्ध में डा० मेलकोटे के विचारों को नोट कर लिया है। श्री शुक्ला ने भी मेरे कथन की पुष्टि ही की है। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में मेरे उनसे कुछ मतभेद हैं। इसके लिये उन्हें हमारे दल के घोषणा पत्र का अध्ययन करना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने भारतीय रुपये की क्रय क्षमता का उल्लेख किया है। भारतीय रुपया पहले की तरह सशक्त है। इस प्रश्न पर सदन में चर्चा हुई थी और उन्हीं तर्कों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मैं इस बारे में कुछ ठीक से नहीं कह सकता क्योंकि मुझे काला बाजारी करने वालों का ज्ञान नहीं है।

मैं श्री बसु की बातों का निराकरण करता हूं जिनमें उन्होंने कहा है कि हमारे दल को चुनाव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह सब करना पड़ा। रुपयों से मत खरीदने की बात कहकर आप भारतीय जनता का अपमान करते हैं। यह शायद आपका चुनाव जीतने का ढंग है।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने कुछ समझदारी की बातें भी कही हैं। आधार-भूत सम्पत्ति का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परन्तु उनके दल ने पश्चिम बंगाल में क्या किया ? उन्होंने दुर्गापुर की जो दशा की है क्या उससे आधारभूत सम्पत्ति और समाजवाद को बढ़ावा मिलेगा। हम यदि समाजवाद की बातें करते हैं तो वह इसलिए कि यहां की अधिकांश जनता गरीब है। हम चीन को प्रसन्न करने के लिए ऐसा नहीं कहते परन्तु हम भारतीय लोगों के प्रति वफादार हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं।

उन्होंने प्रति रक्षा व्यय में वृद्धि का भी उल्लेख किया है। क्या वे चाहते हैं कि हमारी प्रतिरक्षा कमजोर हो और हम आक्रमण का शिकार हों ? हमें शान्ति पूर्वक रहने के लिए शक्तिशाली प्रतिरक्षा की आवश्यकता है।

बीत रहे समय के साथ 66 करोड़ रुपये की वृद्धि सामान्य है। इसका विरोध राजनीति कारणों से किया जा रहा है। क्योंकि यह आलोचना भारतीय प्रमुसत्ता के हित में नहीं है इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं। (इति)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

पश्चिमी बंगाल बजट

WEST BENGAL BUDGET

वित्र मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1971-72 के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण सभा-पटल पर रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां,

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विवरण सभापटल पर रखता हूं।

श्री ज्यो तिर्मय बसु : यह कोई नई बात नहीं है। हम इस सरकार की गतिविधियों से भलि-भांति परिचित हैं। पश्यिम बंगाल का बजट यहां क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है ? वहां बहुमत प्राप्त दल के नेता श्री ज्योति वसु की, जिन्हें सदन के 123 सदस्यों को समर्थन प्राप्त है, उन्हें सरकार बनाने का अवसर क्यों नहीं दिया जाता है ? राज्यपाल ने यह दायित्व अपने ऊपर क्यों लिया है ? वहा के राज्यपाल श्री धवन, प्रत्येक मामले में प्रधानमंत्री सचिवालय से निर्देश लेने को उत्सुक रहते हैं। वास्तविकता यह है कि वह अब बंगाल में सौदेबाजी करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

उड़ीसा बजट
ORISSA BUDGET

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : श्रीमान जिस बजट को सभापटल पर रखा जा रहा है उससे सम्बद्ध मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उड़ीसा का बजट प्रस्तुत करने के लिए उड़ीसा विधान सभा ही उचित फोरम है। उसे यहां प्रस्तुत करना किसी प्रकार सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मेरी अनुमति के बिना बोलेंगे, तो कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी नहीं जायेगा।

श्री प्र० के० देव : मैं इसके बारे में पहले ही आपको लिख चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लिखने का तात्पर्य यह नहीं है कि आपको मेरी अनुमति प्राप्त हो गई है। कृपया बैठ जाइये।

श्री प्र० के० देव : ***

श्री अध्यक्ष महोदय : अगर आपका यही व्यवहार रहा तो मुझे आपको बाहर निकालना पड़ेगा।

श्री० प्र० के० देव : मैं इसमें भाग नहीं ले सकता। अतः मैं सदन से जा रहा हूं।

(श्री प्र० के० देव सभा भवन से बाहर चले गये)

(Shri P. K. Deo then left the House)

वित मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं वर्ष 1971-72 के लिए उड़ीसा राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्र पाड़ा) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मेरा निवेदन यह है कि गत दो महीनों से भी अधिक समय से बिना संसद के अनुसमर्थन के, उड़ीसा में राष्ट्रपति का शासन चल रहा हैं। अभी भी उड़ीसा विधान सभा में एक बहुमत प्राप्त दल है जो राज्यपाल के बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रस्तुत बजट विधानसभा के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इसे यहां क्यों पेश किया जा रहा है। ऐसा करने से केवल राजनीतिक सौदेबाजी को ही बल मिल रहा है। इसी के बल पर कुछ दल फल-फूल रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य महोदय ने जो प्रश्न उठाये है वह बिलकुल निरर्थक हैं और मैं उनका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं समझता।

*** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*** Not to be recorded.

मैसूर बजट

MYSORE BUDGET

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं वर्ष 1971-72 के लिए मैसूर राज्य की अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

———

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (मैसूर)

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (MYSORE)

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं वर्ष 1971-72 के लिए मैसूर राज्य की अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमान जी आपकी अनुमति से मैं उड़ीसा, मैसूर और पश्चिम बंगाल के व्याख्यात्मक विवरण, पढ़ने की बजाय सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : रख दीजिए।

———

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : बहुत से सदस्य अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं क्योंकि अभी उन्होंने वहां के बहुत से काम निपटाने हैं। इसके लिए दो सुझाव आए थे। प्रथम यह कि या तो सभा अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक स्थगित कर दी जाए या फिर सदन को कार्यवाही २ अप्रैल को समाप्त कर दी जाए। मैंने संसद-कार्य मंत्री से इस सम्बन्ध में बातचीत की थी उनका भी यही विचार था कि यदि 2 तारीख तक सदन की बैठक एक घंटा प्रतिदिन बढ़ा दी जाये तो सदन की कार्यवाही 2 तारीख तक समाप्त हो सकती है। यदि आप सहमत हों तो 7 तारीख की अपेक्षा सदन 2 तारीख को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : भुवनेश्वर लेखों के भरने की अन्तिम तिथि 11 अप्रैल है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ दिनों के बाद फसल काटने का मौसम आरम्भ होने वाला है। फसल के अवसर पर तो हम अधिवेशन स्थगित कर देते हैं। फिर मई में किसी समय अधिवेशन बुला कर हम अपना कार्य समाप्त कर लेंगे। मुझे आशा हैं कि सदस्य मेरे साथ सहमत होंगे।

माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : एक सुझाव यह भी है कि हम 2 तारीख को सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दें और 15 अप्रैल को पुनः समवेत हो जायें ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हम सभी चुनाव क्षेत्रों में अपने अधूरे कामों को समाप्त करने के लिए बहुत उत्सुक हैं । हमें लोगों के बिल चुकाने हैं । सदन की कार्यवाही 2 तारीख तक समाप्त कर दी जाएगी । आपका धन्यवाद ।

अतः अब हम सोमवार 11 बजे पुनः समवेत होंगे ।

इसके पश्चात् लोकसभा सोमवार 29 मार्च, 1971/8 चैत्र, 1893 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, March 29, 1971/ Chaitra 8. 1893 (Saka)

मुद्रक : भारत मुद्रणालय, शाहदरा, दिल्ली-३२